कारोबार दायित्व और संधारणीयता रिपोर्ट

खंड क : सामान्य प्रकटीकरण

I. सूचीबद्ध कंपनी का विवरण

1.	सूचीबद्ध एंटिटी की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	L40101DL1969GOI005095
2.	सूचीबद्ध एंटिटी का नाम	आरईसी लिमिटेड
3.	निगमन का वर्ष	25 जुलाई 1969
4.	पंजीकृत कार्यालय का पता	कोर 4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003
5.	कॉर्पोरेट कार्यालय का पता	आरईसी वर्ल्ड हेडक्वार्टर, प्लॉट नं. आई–4, सेक्टर 29, गुरुग्राम–122001
6.	ई–मेल	complianceofficer@recl.in
7.	टेलीफोन	+91-124-444 1300
8.	वेबसाइट	www.recindia.nic.in
9.	वित्तीय वर्ष जिसके लिए रिपोर्टिंग की जा रही है	वित्तीय वर्ष 2021–22
10.	स्टॉक एक्सचेंज(जों) का नाम जहाँ शेयर सूचीबद्ध हैं	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड बीएसई लिमिटेड
11.	प्रदत्त पूंजी	₹1,974.92 करोड़ (31 मार्च, 2022 के अनुसार)
12.	उस व्यक्ति का नाम और संपर्क विवरण (टेलीफोन, ई–मेल पता) जिससे बीआरएसआर रिपोर्ट संबंधी किसी भी प्रश्न के मामले में संपर्क किया जा सकता है	श्री वी. के. सिंह डीआईएनः 02772733 निदेशक (तकनीकी) +91-124-444 1318 dtsectt@recl.in
13.	रिपोर्टिंग बाउंड्री– क्या इस रिपोर्ट के तहत प्रकटीकरण एकल आधार पर (अर्थात केवल एंटिटी के लिए) या समेकित आधार पर किए गए हैं (अर्थात एंटिटियों और सभी एंटिटियों के लिए जो इसके समेकित वित्तीय विवरणों का एक हिस्सा हैं, एक साथ लिया गया है)।	इस रिपोर्ट में एक एकल आधार पर प्रकटीकरण किए गए हैं।

II. उत्पाद/सेवाएं

14. कारोबार संबंधी गतिविधियों का विवरण (90% टर्नओवर के लिए लेखांकन):

क्रम संख्या	मुख्य गतिविधि का विवरण	कारोबार संबंधी गतिविधि का विवरण	एंटिटी के टर्नओवर का%
1.	वित्तीय और बीमा सेवा	वित्तीय और ऋण पट्टे पर देने की गतिविधियां	99.75%

15. एंटिटी द्वारा बेचे गए उत्पाद/सेवाएं (एंटिटी के 90% टर्नओवर के लिए लेखांकन):

क्रम संख्या	उत्पाद/सेवा	एनआईसी कोड	कुल टर्नओवर का % योगदान
1.	अन्य वित्तीय सेवाएं और गतिविधियां – अन्य ऋण अनुदान	64920	99.71%

III. प्रचालन

16. उन स्थानों की संख्या जहाँ एंटिटी के संयंत्र और/या प्रचालन/कार्यालय स्थित हैं:

स्थान की संख्या	संयंत्रों की संख्या	कार्यालयों की संख्या	जोड़
राष्ट्रीय	-	23	23
अंतरराष्ट्रीय	-	-	-

टिप्पणी: इस वार्षिक रिपोर्ट में आरईसी कार्यालयों के पते अलग से प्रदर्शित हो रहे हैं।

17. एंटिटी द्वारा सेवित बाजार

क. स्थानों की संख्या

स्थान	संख्या
राष्ट्रीय (राज्यों की संख्या)	28
अंतर्राष्ट्रीय (देशों की संख्या)	1

ख. एंटिटी के कुल टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में निर्यात का योगदान क्या है?

कंपनी एक गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (आईएफसी) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए कंपनी के कारोबार में निर्यात का योगदान शून्य था। हालांकि, आरईसी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान भूटान में 4x150 मेगावाट की खोलोंगछु जलविद्युत परियोजना के लिए ₹2,500 करोड़ के ऋण को मंजूरी दी थी।

ग. ग्राहकों के प्रकारों के बारे में संक्षिप्त जानकारी

आरईसी के प्रमुख उत्पादक राज्य यूटिलिटियों, निजी क्षेत्र के उधारकर्ताओं आदि को ब्याजी ऋण है। कंपनी की कारोबारी संबंधी गतिविधियों में विद्युत उत्पादन (पारंपरिक और नवीकरणीय ऊर्जा दोनों), पारेषण, वितरण, ग्रामीण विद्युतीकरण, ई–मोबिलिटी, विद्युत क्षेत्र के लिए वित्तपोषण उपकरण निर्माण और विद्युत परियोजनाओं के साथ लिंकिंग आगे/पीछे की गतिविधियों के लिए संपूर्ण विद्युत क्षेत्र मूल्य श्रृंखला में वित्तपोषण परियोजनाएं शामिल हैं। कंपनी के प्रमुख उत्पादों में संपूर्ण विद्युत क्षेत्र मूल्य श्रृंखला के लिए दीर्घकालिक ऋण, मध्यावधि के ऋण, अल्पकालिक ऋण आदि शामिल हैं।

कंपनी के ग्राहकों में राज्य सरकारें, केंद्र/राज्य बिजली यूटिलिटिज, राज्य बिजली बोर्ड, स्वतंत्र बिजली उत्पादक, ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियां और प्राइवेट सेक्टर यूटिलिटीज आदि शामिल हैं।

IV कार्मिक

18. वित्तीय वर्ष के अंत में विवरण:

क. कार्मिक और कामगार (दिव्यांगजनों सहित):

क्रम संख्या	विवरण	कुल (क)	पुरुष		महिला	
			संख्या (ख)	% (ख/क)	संख्या (ग)	% (ग/क)
कार्मिक						
1.	स्थायी (घ)	440	368	83.64%	72	16.29%
2.	स्थायी के अलावा (ङ)	2	2	100%	-	-
3.	कुल कर्मचारी (घ+ङ)	442	370	83.71%	72	16.29%
कामगार						
4.	स्थायी (च)	-	-	-	-	-
5.	स्थायी के अलावा (छ)	-	-	-	-	-
6.	कुल कामगार (च+छ)	-	-	-	-	-

ख. दिव्यांगजन कार्मिक और कामगार:

क्रम संख्या	विवरण	कुल (क)	पुरुष		महिला	
			संख्या (ख)	% (ख/क)	संख्या (ग)	% (ग/क)
दिव्यांग कार्मिक						
1.	स्थायी (घ)	13	12	92.31%	1	7.69%
2.	स्थायी के अलावा (ङ)	-	-	-	-	-
3.	कुल दिव्यांग कार्मिक (घ+ङ)	13	12	92.31%	1	7.69%
दिव्यांग कामगर						
4.	स्थायी (च)	-	-	-	-	-
5.	स्थायी के अलावा (छ)	-	-	-	-	-
6.	कुल दिव्यांग कामगार (च+छ)	-	-	-	-	-

19. महिलाओं की भागीदारी/समावेशन/प्रतिनिधित्व:

	कुल (क)	महिलाओं की संख्या और प्रतिशत	
		संख्या (ख)	% (ख/क)
निदेशक मंडल	**7**	2	28.57%
मुख्य प्रबंधन कार्मिक	**3**	0	0.00 %

20. स्थायी कार्मिकों और कामगारों के लिए टर्नओवर दर *(पिछले 3 वर्षों के रुझानों का प्रकटीकरण करें)*

	वित्तीय वर्ष 2021-22			वित्तीय वर्ष 2020-21			वित्तीय वर्ष 2019-20		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
स्थायी कार्मिक	8.25	7.0	15.25*	9.7	12	21.7*	12.79	9.75	22.54*
स्थायी कामगार	-	-	-	-	-	-	-	-	-

** सेवानिवृत्ति सहित*

ट. धारक, अनुषंगी और सहयोगी कंपनियां (संयुक्त उद्यम सहित)

21. (क) धारक / अनुषंगी / सहयोगी कंपनियों / संयुक्त उद्यमों के नाम

क्रम संख्या	धारक/अनुषंगी/सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों का नाम (क)	क्या धारक /अनुषंगी/सहयोगी/संयुक्त उद्यम है, इंगित करें	सूचीबद्ध कंपनी द्वारा धारित शेयरों का %	क्या कॉलम क में इंगित इकाई सूचीबद्ध कंपनी की कारोबार संबंधी उत्तरदायित्व पहल में भाग लेती हैं? (हाँ/नहीं)
1	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी)	धारक कंपनी	आरईसी में 52-63% पीएफसी द्वारा धारित है	हाँ
2	आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल)	अनुषंगी कंपनी	100%	हाँ
3	चंदिल ट्रांसमिशन लिमिटेड	अनुषंगी कंपनी	100%	हाँ
4	दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड	अनुषंगी कंपनी	100%	हाँ
5	मंदर ट्रांसमिशन लिमिटेड	अनुषंगी कंपनी	100%	हाँ
6	कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड	अनुषंगी कंपनी	100%	हाँ
7	बीदर ट्रांसमिशन लिमिटेड	अनुषंगी कंपनी	100%	हाँ
8	राजगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड#	अनुषंगी कंपनी	100%	हाँ
9	एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज–I लिमिटेड	अनुषंगी कंपनी	100%	हाँ
10	ईआर एनईआर ट्रांसमिशन लिमिटेड	अनुषंगी कंपनी	100%	हाँ
11	एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	15.68%	हाँ

#31 मार्च, 2022 तक अनुषंगी थी, 30 मई, 2022 को जीआर इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड को स्थानांतरित कर दिया गया।

VI. सीएसआर विवरण

22. (i) क्या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार सीएसआर लागू है (हाँ/नहीं) : हाँ

(ii) टर्नओवर: ₹39,132.49 करोड़

(iii) निवल मूल्य: ₹50,985.60 करोड़

VII. पारदर्शिता और प्रकटीकरण अनुपालन

23. उत्तरदायी कारोबार आचरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के तहत किसी भी सिद्धांत (सिद्धांत 1 से 9) पर परिवाद/शिकायत:

हितधारक समूह जिससे शिकायत प्राप्त होती है	शिकायत निवारण तंत्र मौजूद है (हाँ/नहीं) (यदि हाँ, तो शिकायत निवारण नीति के लिए वेब-लिंक प्रदान करें)	वित्तीय वर्ष 2021-22			वित्तीय वर्ष 2020-21		
		वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणियां
समुदाय	हाँ https://recindia.nic.in/grievances	98	1	-	166	2	-
निवेशक (शेयरधारकों के अलावा)	हाँ https://recindia.nic.in/bonds-grievances	18,042	0	-	16,655	0	-
शेयरधारकों	हाँ https://recindia.nic.in/investors-contact	4,670	3	तब से लंबित मामलों का समाधान किया गया है	2,304	0	-
कार्मिक और कामगार	हाँ इंट्रानेट पर उपलब्ध	-	-	-	-	-	-

हितधारक समूह जिससे शिकायत प्राप्त होती है	शिकायत निवारण तंत्र मौजूद है (हाँ/नहीं) (यदि हाँ, तो शिकायत निवारण नीति के लिए वेब-लिंक प्रदान करें)	वित्तीय वर्ष 2021-22			वित्तीय वर्ष 2020-21		
		वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणियां
ग्राहक	हाँ https://recindia.nic.in/uploads/files/Fair-Practices-Code.pdf	-	-	-	-	-	-
मूल्य श्रृंखला भागीदार	हाँ https://recindia.nic.in/independent-external-monitor-iem-for-rural-electrification-corporation-ltd	-	-	-	-	-	-
अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-

24. कंपनी के महत्वपूर्ण उत्तरदायी कारोबार आचरण के मुद्दों का अवलोकन

निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार कृपया पर्यावरणीय और सामाजिक मामलों से संबंधित आवश्यक उत्तरदायी कारोबार आचरण और संधारणीयता के वो मुद्दों जो आपके कारोबार के लिए जोखिम या अवसर होते हैं, इसकी पहचान करने के लिए तर्क, जोखिम को अनुकूलित करने या कम करने के दृष्टिकोण के साथ–साथ इसके वित्तीय प्रभावों को इंगित करें

क्रम संख्या	महत्वपूर्ण मुद्दे की पहचान की गई	क्या जोखिम या अवसर (आर/ओ) इंगित करें	जोखिम/अवसर की पहचान करने का औचित्य	जोखिम के मामले में, अनुकूलन या कम करने के लिए दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव का इंगित करें)
1.	पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में क्रमिक बदलाव	अवसर	स्वच्छ ऊर्जा पर जोर देना कारपोरेशन के लिए अतिरिक्त वित्तपोषण के अवसर प्रदान करेगा।	–	स्वच्छ ऊर्जा के लिए वित्तपोषण से अतिरिक्त राजस्व के कारण आरईसी सकारात्मक वित्तीय प्रभाव का अनुभव करेगा।
2.	संधारणीयता को आगे बढ़ाने के लिए कागज रहित वातावरण में बदलाव	अवसर	संचार और रिकॉर्ड प्रबंधन के डिजिटल साधनों में बदलाव से गति, सटीकता, दक्षता, लागत बचत, जवाबदेही और रिकॉर्ड के संरक्षण में वृद्धि होगी।	–	लागत बचत और संचालन की तेजी में वृद्धि के कारण आरईसी सकारात्मक वित्तीय प्रभाव का अनुभव करेगा।
3.	संधारणीयता सुनिश्चित करने के लिए जलवायु सचेतन के उपाय	जोखिम	बढ़ती जलवायु चिंताएं कंपनी के संचालन के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं।	आरईसी ने जलवायु संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए एक "अनुकूलन" दृष्टिकोण अपनाया है। आरईसी ने अपने कॉर्पोरेट कार्यालय के लिए एक जलवायु जागरूक "ग्रीन" भवन का निर्माण किया है। इसके अलावा, आरईसी ने स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं के वित्तपोषण पर ध्यान केंद्रित किया है।	लागत बचत और अतिरिक्त राजस्व के कारण आरईसी सकारात्मक वित्तीय प्रभाव का अनुभव करेगा।

खंड ख: प्रबंधन और प्रक्रिया प्रकटीकरण

इस खंड का उद्देश्य कारोबार को एनजीआरबीसी सिद्धांतों और मूल तत्वों को अपनाने की दिशा में स्थापित अवसंरचनाओं, नीतियों और प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करने में मदद करना है।

प्रकटीकरण प्रश्न		पी1	पी2	पी 3	पी4	पी 5	पी 6	पी7	पी8	पी 9
नीति और प्रबंधन प्रक्रियाएं										
1.	क. क्या आपकी एंटिटी की नीति/नीतियां एनजीआरबीसी के प्रत्येक सिद्धांत और उसके मूल तत्वों को कवर करती हैं। (हाँ/नहीं)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
	ख. क्या नीति को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है? (हाँ/नहीं)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
	ग. नीतियों का वेब लिंक, यदि उपलब्ध हो	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
2.	क्या कंपनी ने नीति का प्रक्रियाओं बदलाव किया है। (हाँ/नहीं)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
3.	क्या सूचीबद्ध नीतियां आपके मूल्य श्रृंखला भागीदारों तक फैली हुई हैं? (हाँ/नहीं)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
4.	राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कोड/प्रमाणन/लेबल/मानकों का नाम (उदाहरण के लिए वन प्रबंधन परिषद, फेयरट्रेड, रेनफॉरेस्ट एलायंस, ट्रस्टिया) मानक (जैसे एसए 8000, ओएचएसएएस, आईएसओ, बीआईएस) जो आपकी कंपनी द्वारा अपनाए गए और प्रत्येक सिद्धांत के लिए मैप्ड किए गए।	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
5.	विशिष्ट समय–सीमा के साथ कंपनी द्वारा निर्धारित विशिष्ट प्रतिबद्धताएं, उद्देश्य और लक्ष्य, यदि कोई हों।	आरईसी ने सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी एमओयू दिशानिर्देशों में निर्धारित ढांचे के तहत अपनी धारक कंपनी, पीएफसी के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया। एमओयू विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के परामर्श से अंतिम रूप दी गई कंपनी के लिए प्रमुख प्रदर्शन मापदंडों का सीमांकन करता है और कंपनी के प्रदर्शन का मूल्यांकन एमओयू मापदंडों के अनुसार किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए आरईसी का एमओयू स्कोर 100 में से 100 था और इसे "उत्कृष्ट" के रूप में दर्जा दिया गया था।								
6.	विशिष्ट प्रतिबद्धताओं, उद्देश्यों और लक्ष्यों के साथ–साथ उन कारणों को पूरा नहीं करने की स्थिति में कंपनी का प्रदर्शन।									
सुशासन, नेतृत्व और निरीक्षण										
7.	ईएसजी से संबंधित चुनौतियों, लक्ष्यों और उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कारोबार उत्तरदायी रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार निदेशक द्वारा वक्तव्य (सूचीबद्ध कंपनी के पास इस प्रकटीकरण की नियुक्ति के संबंध में लचीलापन है) कंपनी संगठन के लिए एक उपयुक्त ईएसजी ढांचा विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। लक्ष्यों, चुनौतियों आदि को शामिल करने वाली ईएसजी नीति वर्तमान में तैयार की जा रही है।									
8.	कारोबार उत्तरदायी नीति के कार्यान्वयन और निरीक्षण के लिए उत्तरदायी उच्चतम प्राधिकरण का विवरण।	निदेशक मंडल								
9.	क्या कंपनी के पास बोर्ड/निदेशक की एक निर्दिष्ट समिति है जो संधारणीयता संबंधी मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए उत्तरदायी है? (हाँ/नहीं)। यदि हाँ, तो विवरण दें।	हाँ। कंपनी के पास ईएसजी संबंधी मामलों के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति है। इसके अलावा, संधारणीयता संबंधी मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए निदेशक (तकनीकी) उत्तरदायी है।								
10.	कंपनी द्वारा एनजीआरबीसी की समीक्षा का विवरण:									

समीक्षा का विषय	क्या समीक्षा बोर्ड के निदेशक/समिति/किसी अन्य समिति द्वारा की गई थी, इंगित करें									आवृत्ति (वार्षिक/अर्धवार्षिक/त्रैमासिक/कोई अन्य -कृपया निर्दिष्ट करें)								
	पी1	पी2	पी 3	पी4	पी 5	पी 6	पी7	पी8	पी9	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
उपरोक्त नीतियों के लिए प्रदर्शन और अनुवर्ती कार्रवाई	9	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	तिमाही और वार्षिक आधार पर								
सिद्धांतों की प्रासंगिकता की वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन, और किसी भी गैर – अनुपालन का सुधार	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	तिमाही और वार्षिक आधार पर								

		पी1	पी2	पी 3	पी4	पी 5	पी 6	पी7	पी8	पी 9
11.	क्या एंटिटी ने किसी बाहरी एजेंसी द्वारा अपनी नीतियों के कामकाज का स्वतंत्र निर्धारण/मूल्यांकन किया है? (हाँ/नहीं)। यदि हाँ, तो एजेंसी का नाम बताएं।	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ

टिप्पणी: प्रासंगिक स्पष्टीकरण/सूचना/लिंक इस रिर्पोट के अनुबंध में उल्लिखित है।

12. यदि उपरोक्त प्रश्न (1) का उत्तर "नहीं" है, अर्थात सभी सिद्धांत किसी नीति के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो कारण बताएं।

लागू नहीं।

खंड ग: सिद्धांत-वार प्रदर्शन प्रकटीकरण

इस खंड का उद्देश्य कंपनियों को प्रमुख प्रक्रियाओं और निर्णयों के साथ सिद्धांतों और मूल तत्वों को एकीकृत करने में उनके प्रदर्शन को प्रदर्शित करने में मदद करना है। मांगी गई जानकारी को "आवश्यक" और "नेतृत्व" के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जबकि इस रिपोर्ट को दर्ज करने के लिए अनिवार्य प्रत्येक कंपनी द्वारा आवश्यक संकेतकों का खुलासा करने की उम्मीद की जाती है, नेतृत्व संकेतक स्वेच्छा से उन कंपनियों द्वारा प्रकट किए जा सकते हैं जो सामाजिक, पर्यावरणीय और नैतिक रूप से जिम्मेदार होने के नाते अपने अनुसंधान की उच्चस्तरीय प्रगति में रुचि रखते हैं।

सिद्धांत 1: कारोबार का व्यवहार एवं प्रचालन नैतिकता, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व के साथ स्वयं किया जाना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. **वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों का प्रतिशत:**

खंड	आयोजित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/सिद्धांत और इनका प्रभाव	जागरूकता कार्यक्रमों के अंतर्गत संबंधित श्रेणी के व्यक्तियों की आयु का %
निदेशक मंडल	3	स्वतंत्र निदेशकों को कंपनी के कारोबार और प्रचालन, उद्योग अवसरंचना, प्रस्तावित सेवाओं की प्रकृति से परिचित कराने के लिए उन्मुखीकरण कार्यक्रम। उपरोक्त प्रशिक्षण में सिद्धांत 1, 2 और 9 शामिल थे।	42.86%
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	1	अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम	25%
निदेशक मंडल और केएमपी के अलावा अन्य कार्मिक	21	विभिन्न तकनीकी और वित्तीय विषय जिनमें अनुभवात्मक शिक्षा और व्यक्तिगत प्रभावशीलता शामिल हैं जो दिन–प्रतिदिन के काम के लिए प्रासंगिक हैं	52.27%
कामगार	-	-	-

2. **वित्तीय वर्ष में नियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों के साथ कार्यवाही में भुगतान किए गए जुर्माना/दंड/सजा/अवार्ड/कंपाउंडिंग शुल्क/निपटान राशि का विवरण (एंटिटी द्वारा या निदेशकों/केएमपी द्वारा) निम्नलिखित प्रारूप में (टिप्पणी: एंटिटी सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण दायित्व) विनियम, 2015 के विनियम 30 में निर्दिष्ट और एंटिटी की वेबसाइट पर बतायी गयी आवश्यकता के अनुसार के आधार पर प्रकटीकरण करेगी):**

राजकोषीय					
	एनजीआर बीसी सिद्धांत	नियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/ न्यायिक संस्थानों का नाम	राशि (भारतीय रुपए में)	मामले का संक्षिप्त विवरण	क्या अपील को प्राथमिकता दी गई है? (हाँ/ नहीं)
दंड / जुर्माना	सिद्धांत 1	1. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड 2. बीएसई	₹86,21,080/-	31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए, कंपनी ने सेबी एलओडीआर विनियम, कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों, आईसीएसआई द्वारा जारी लागू सचिवीय मानकों और कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों की सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, जैसा कि समय से संशोधित है। समय–समय पर स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या की नियुक्ति से संबंधित अनुपालन को छोड़कर, इसके अलावा, वर्ष के कुछ भाग के लिए, कंपनी के बोर्ड में महिला स्वतंत्र निदेशक सहित कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था और कुछ समितियों की संरचना भी वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं थी। इस तरह के गैर–अनुपालन के कारण, एनएसई और बीएसई ने वित्तीय वर्ष 2021–22 की सभी चार तिमाहियों के लिए कुल ₹86,21,080/– जीएसटी (₹43,10,540/– प्रत्येक जीएसटी सहित) का जुर्माना लगाया है।	हाँ
निपटान	-	-	-	-	-

राजकोषीय					
	एनजीआरबीसी सिद्धांत	नियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों का नाम	राशि (भारतीय रुपए में)	मामले का संक्षिप्त विवरण	क्या अपील को प्राथमिकता दी गई है? (हाँ/नहीं)
कंपाउंडिंग शुल्क	-	-	-	-	-
गैर-राजकोषीय					
	एनजीआरबीसी सिद्धांत	नियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों का नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	क्या अपील को प्राथमिकता दी गई है? (हाँ/नहीं)	
कैद	-	-	-	-	
सज़ा	-	-	-	-	

3. **उपरोक्त प्रश्न 2 में प्रकट किए गए मामलों में से, उन मामलों में अपील/संशोधन का विवरण जहाँ मौद्रिक या गैर-मौद्रिक कार्रवाई की अपील की गई है।**

मामले का विवरण	नियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों का नाम
स्वतंत्र निदेशकों/महिला स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति न करने के लिए एनएसई और बीएसई द्वारा लगाए गए जुर्माने के संबंध में, जैसा कि पिछले प्रश्न में कहा गया है, चूंकि कंपनी के बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास निहित है, जो प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात विद्युत मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार के माध्यम से कार्य करते हैं। इसलिए कंपनी स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या की नियुक्ति के लिए नियुक्ति प्राधिकारी, अर्थात एमओपी से अनुरोध कर रही है। निदेशकों की नियुक्ति या उसके बोर्ड और उसकी समितियों की संरचना को बनाए रखने में कंपनी का कोई नियंत्रण नहीं है। इसे देखते हुए, कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजों से उक्त जुर्माने को माफ करने का अनुरोध किया था/अनुरोध कर रही है। यह उल्लेख करना उचित है, कि बीएसई ने सितंबर 2020 और दिसंबर 2020 को समाप्त हुई पिछली तिमाहियों के लिए कंपनी पर लगाए गए जुर्माने को पहले ही माफ कर दिया है। कंपनी स्टॉक एक्सचेंजों के साथ शेष राशि के जुर्माने को भी माफ करने के लिए अनुसरण कर रही है।	1. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड 2. बीएसई

4. **क्या कंपनी के पास भ्रष्टाचार विरोधी या रिश्वत विरोधी नीति है? यदि हाँ, तो संक्षेप में विवरण प्रदान करें और यदि उपलब्ध हो तो नीति के लिए एक वेब-लिंक प्रदान करें।**

आरईसी भ्रष्टाचार विरोधी और रिश्वतखोरी के संबंध में सीवीसी की प्रक्रियाओं और मानदंडों का पालन करता है और पीआईडीपीआई संकल्प (जनहित प्रकटीकरण और मुखबिरों के संरक्षण पर भारत सरकार का संकल्प) भ्रष्टाचार या कार्यालय के दुरुपयोग के किसी भी आरोप पर प्रकटीकरण के लिए शिकायतों से संबंधित है जिसमें सीवीसी नामित एजेंसी है। उपरोक्त के अलावा, आरईसी ने व्हिसल ब्लोअर नीति भी अपनाई है।

इसके अलावा, कंपनी के *आचरण, अनुशासन और अपील (सीडीए) नियम* सभी कर्मचारियों के लिए आचार संहिता को परिभाषित करते हैं और रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार आदि के कृत्यों को कदाचार के रूप में मान्यता देते हैं।

कंपनी की *धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए एक नीति* भी है, जो धोखाधड़ी, रिश्वतखोरी या भ्रष्टाचार किसी भी कार्य की रोकथाम, पता लगाने और रिपोर्टिंग के लिए कंपनी के प्रत्येक कर्मचारी की ओर से दायित्व निर्धारित करती है।

5. **निदेशकों/केएमपी/कार्मिकों/कामगारों की संख्या जिनके खिलाफ रिश्वत/भ्रष्टाचार के आरोपों के लिए किसी कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई थी:**

	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2020-21
निदेशक	-	-
केएमपी	-	-
कार्मिक	-	-
कामगार	-	-

6. **हितों के टकराव के संबंध में शिकायतों का विवरण:**

	वित्तीय वर्ष 2021-22		वित्तीय वर्ष 2020-21	
	संख्या	टिप्पणियां	संख्या	टिप्पणियां
निदेशकों के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	-	-	-	-
केएमपी के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	-	-	-	-

7. **भ्रष्टाचार और हितों के टकराव के मामलों पर जुर्माना/दंड/नियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित मुद्दों पर की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।**

लागू नहीं।

नेतृत्व संकेतक

1. **वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर मूल्य श्रृंखला भागीदारों के लिए आयोजित जागरूकता कार्यक्रम:**

आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/सिद्धांत	जागरूकता कार्यक्रमों के तहत शामिल किए गए मूल्य श्रृंखला भागीदारों की आयु % (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए कारोबार के मूल्य के अनुसार)
3	आरईसी के सतर्कता विभाग ने निम्नलिखित विषयों पर क्षेत्रीय कार्यालयों, अनुषंगी और प्रशिक्षण केंद्र सहित आरईसी के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशाला आयोजित की: • अनुबंध प्रबंधन • पीआईडीपीआई • फोरेंसिक ऑडिट उपरोक्त प्रशिक्षण में सिद्धांत 1 और 2 शामिल हैं।	100%
2	आरईसी के प्रोक्योरमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट्स मैनेजमेंट डिवीजन ने निम्नलिखित विषयों पर विक्रेता विकास कार्यक्रम आयोजित किए, एक सामान्य श्रेणी के विक्रेताओं के लिए और 1 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले एमएसई के लिए: • जीईएम जागरूकता • एमएसएमई/स्टार्ट–अप्स को लाभ • मेक–इन–इंडिया नीति जागरूकता • जीएफआर 2017 के नियम 144 (xi) के तहत प्रतिबंध: वह देश जो भारत के साथ एक भूमि सीमा साझा करता है • *"आत्मनिर्भर भारत अभियान"* के लिए जागरूकता उपरोक्त प्रशिक्षण में सिद्धांत 2, 3, 8 और 9 शामिल थे।	100%

2. **क्या बोर्ड के सदस्यों से जुड़े हितों के टकराव से बचने/प्रबंधन के लिए एंटिटी के पास प्रक्रियाएं हैं? (हाँ/नहीं) यदि हाँ , तो उसका विवरण दें।**

कंपनी के पास बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए एक आचार संहिता है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ हितों के टकराव से निपटने की प्रक्रिया शामिल है। यह नीति https://recindia.nic.in/uploads/files/Code_Business_Conduct_Ethics.pdf पर उपलब्ध है।

सिद्धांत 2 : कारोबार के लिए ऐसी वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता करवायी जानी चाहिए जो संधारणीय और सुरक्षित हो

आवश्यक संकेतक

1. **एंटिटी द्वारा किए गए कुल आरएंडडी और कैपेक्स निवेश के लिए उत्पाद और प्रक्रियाओं के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों को सुधारने के लिए विशिष्ट प्रौद्योगिकियों में आरएंडडी और पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) निवेश का प्रतिशत क्रमश।**

	चालू वित्तीय वर्ष	पिछला वित्तीय वर्ष	पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों में सुधार का विवरण
आर एंड डी	-	-	-
कैपेक्स	₹12.22 करोड़*	-	आरईसी के पास कोई विनिर्माण सुविधा नहीं है, आरएंडडी और कैपेक्स से संबंधित कोई महत्वपूर्ण विवरण नहीं हैं। हालांकि, कंपनी ने ऊर्जा के स्वच्छ और नवीकरणीय स्रोत का उपयोग करके भार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए गुरुग्राम में अपने कॉर्पोरेट कार्यालय भवन (सौर पेर्गोला संरचना द्वारा समर्थित) के शीर्ष पर एक 979 किलोवाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है। सौर संयंत्र जुलाई 2021 से काम कर रहा है और ग्रिड से जुड़ा है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान इसने 8,22,072 यूनिट बिजली का उत्पादन किया है, जिसने आरईसी कॉर्पोरेट कार्यालय भवन (अर्थात 16,30,956 यूनिट) की कुल लोड आवश्यकता का लगभग 50% पूरा किया है।

**कंपनी द्वारा ऊर्जा संरक्षण उपकरण पर कुल पूंजी निवेश अर्थात एसआईटीसी की ओर (सौर पेर्गोला और सौर पैनलों की आपूर्ति, संस्थापना, परीक्षण और उन्हें चालू करने)*

2. क. **क्या संधारणीय सोर्सिंग के लिए कंपनी के पास प्रक्रियाएं हैं? (हाँ/नहीं)**

कंपनी की कारोबारिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए, इस प्रश्न की सीमित प्रयोज्यता है। एक एनबीएफसी के रूप में, आरईसी के संसाधनों का उपयोग मुख्य रूप से विद्युत, कार्यालय आपूर्ति और संचार या आईटी उपकरण तक सीमित है।

एक एनबीएफसी होने के नाते, आरईसी भौतिक आवश्यकताओं के मामले में कम संसाधन–गहन है। सीमित दायरे के बावजूद, आरईसी अपनी सभी भौतिक आवश्यकताओं की उत्तरदायी सोर्सिंग सुनिश्चित करता है। कंपनी अपनी खरीद में जीईएम पोर्टल (सरकारी ई–मार्केटप्लेस) को बढ़ावा देती है और एमएसएमई विक्रेताओं से सोर्सिंग को भी बढ़ावा देती है। सामग्री और सेवाओं की सभी खरीद/सोर्सिंग कंपनी के खरीद दिशानिर्देशों में परिभाषित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है।

ख. **यदि हाँ, तो कितने प्रतिशत निवेशों को स्थायी रूप से प्राप्त किया गया?**

महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के संदर्भ में, आरईसी ने सरकारी निर्देशों के अनुसार एमआईआई/एमएसएमई को खरीद वरीयता के साथ, जीईएम (सरकारी ई–मार्केटप्लेस) पोर्टल पर उपलब्ध सामान्य उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद को अनिवार्य कर दिया है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, आरईसी ने न केवल जीईएम से खरीद के अपने लक्ष्य को प्राप्त किया बल्कि लक्ष्य से अधिक हासिल किया। एमओयू के संबंध में जीईएम पोर्टल से 51.14% और एमएसएमई से खरीद 36.60% थी।

3. **जीवन के अंत में पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण और निपटान के लिए अपने उत्पादों को सुरक्षित रूप से पुनः प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का वर्णन करें, (क) प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित) (ख) ई-अपशिष्ट (ग) खतरनाक अपशिष्ट और (घ) अन्य अपशिष्ट।**

कारोबार और प्रचालन की प्रकृति को देखते हुए, कंपनी के पास भौतिक प्लास्टिक अपशिष्ट, ई–अपशिष्ट और अन्य अपशिष्ट नहीं है। इसके अलावा, कंपनी के पास कोई खतरनाक अपशिष्ट नहीं है।

ई–अपशिष्ट के रूप में पहचाने जाने वाले पुराने, अनुपयोगी और अप्रचलित आईटी उपकरणों का निपटान, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भारत सरकार और राज्य प्रदूषण नियंत्रण समिति/बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट के तहत पंजीकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं/पुनः प्रसंस्करणकर्ताओं के माध्यम से, खरीद कंपनी के दिशानिर्देशों का पालन करके किया जाता है।

कंपनी ने प्लास्टिक के उपयोग को भी बहुत कम कर दिया है और जूट बैग, कपड़े के बैग आदि जैसे विकल्प के उपयोग को प्रोत्साहित किया है।

4. **क्या एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिब्लिटी (ईपीआर) कंपनी की गतिविधियों पर लागू होता है (हाँ/नहीं)। यदि हाँ, तो क्या कचरा संग्रहण योजना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पोंसिब्लिटी (ईपीआर) योजना के अनुरूप है? यदि नहीं, तो इसके समाधान के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दें।**

लागू नहीं।

नेतृत्व संकेतक

1. **क्या एंटिटी ने अपने किसी उत्पाद (विनिर्माण उद्योग के लिए) या अपनी सेवाओं (सेवा उद्योग के लिए) के लिए जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/आकलन (एलसीए) आयोजित किया है? यदि हाँ, तो निम्नलिखित प्रारूप में विवरण प्रदान करें?**

आईएफसी के रूप में वर्गीकृत एक एनबीएफसी होने के नाते, आरईसी द्वारा पेश किए जाने वाले मुख्य उत्पादों में संपूर्ण विद्युत क्षेत्र मूल्य श्रृंखला में योजनाओं और परियोजनाओं के लिए उधारकर्ताओं को रुपया अवधि ऋण, अल्पकालिक और मध्यम अवधि के ऋण आदि शामिल हैं। इसके अलावा, भारत सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए नोडल एजेंसी के रूप में, आरईसी विद्युत क्षेत्र के समग्र विकास में योगदान देता है।

ऋण उत्पादों को बाजार के मानदंडों, उधारकर्ता की आवश्यकताओं और आरबीआई और/या किसी अन्य नियामकों के लागू वैधानिक और नियामक प्रावधानों के अनुरूप विकसित किया जाता है। कंपनी द्वारा प्रस्तावित ऋण उत्पादों का विवरण वेबसाइट https://recindia.nic.in/financial-products पर उपलब्ध है।

नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए लागू आरईसी और केएफडब्ल्यू के बीच आधिकारिक विकास सहायता – केएफडब्ल्यू– III एलओए के तहत वर्ष 2016 में आरईसी ने पर्यावरणीय सामाजिक प्रभाव विश्लेषण (ईएसआईए) रिपोर्ट तैयार की है । वही नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण में पर्यावरण और सामाजिक मुद्दों के समाधान हेतु आरईसी रोडमैप के रूप में कार्य करता है।

2. **यदि जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/आकलन (एलसीए) में या किसी अन्य माध्यम से पहचाने गए आपके उत्पादों/सेवाओं के उत्पादन या निपटान से उत्पन्न होने वाली कोई महत्वपूर्ण सामाजिक या पर्यावरणीय चिंताएं और/या जोखिम हैं, तो उसका संक्षेप में वर्णन करें साथ ही कम करने के लिए की गई कार्रवाई का भी वर्णन करें।**

उत्पाद / सेवा का नाम	जोखिम / चिंता का विवरण	की गई कार्रवाई
अन्य वित्तीय सेवाएं और गतिविधियां – अन्य ऋण अनुदान	कंपनी के उत्पादों / सेवाओं के उत्पादन या निपटान से कोई महत्वपूर्ण सामाजिक या पर्यावरणीय चिंता / जोखिम की परिकल्पना नहीं की गई है ।	-

3. **उत्पादन (विनिर्माण उद्योग के लिए) या सेवाएं प्रदान करने (सेवा उद्योग के लिए) में उपयोग की जाने वाली कुल सामग्री (मूल्य के अनुसार) में पुनर्नवीनीकरण या पुनः उपयोग की गई इनपुट सामग्री का प्रतिशत।**

कारोबार और प्रचालन की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, कंपनी द्वारा उपयोग की जाने वाली पुनर्नवीनीकरण या पुनः उपयोग की गई इनपुट सामग्री का प्रतिशत नगण्य है।

4. **उत्पादों के जीवन के अंत में पुनः प्राप्त किए गए उत्पादों और पैकेजिंग में से, निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार पुनः उपयोग, पुनर्नवीनीकरण और सुरक्षित रूप से निपटान की मात्रा निम्न है:**

	वित्तीय वर्ष 2021-22			वित्तीय वर्ष 2020-21		
	पुनः उपयोग किए	पुनर्नवीनी. करण	सुरक्षित रूप से निपटान	पुनः उपयोग किए	पुनर्नवीनी. करण	सुरक्षित रूप से निपटान
प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित)	-	-	-	-	-	-
ई – अपशिष्ट	-	-	*140			*177
खतरनाक अपशिष्ट	-	-	-	-	-	-
अन्य अपशिष्ट	-	-	-	-	-	-

** सुरक्षित रूप से निपटाए गए आईटी यूनिट्स की संख्या को दर्शाता है।*

5. **प्रत्येक उत्पाद श्रेणी के लिए सुधार योग्य उत्पाद और उनकी पैकेजिंग सामग्री (बेचे गए उत्पादों के प्रतिशत के रूप में)।**

लागू नहीं

सिद्धांत 3: कारोबार के मूल्य श्रृंखला में शामिल सभी कर्मचारियों के हितों का सम्मान और बढ़ावा देना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. क. **कर्मचारियों के कल्याण हेतु उपायों का विवरण**

श्रेणी	कुल (क)	शामिल कार्मिकों का%									
		स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मातृत्व लाभ		पितृत्व लाभ		डे केयर सुविधाएं	
		संख्या (ख)	% (ख/क)	संख्या (ग)	% (ग/क)	संख्या (घ)	% (घ/क)	संख्या (ङ)	% (ङ/क)	संख्या (च)	% (फ/क)
स्थायी कार्मिक											
पुरुष	368	-	-	368	100	0	0	368	100	368	100
महिला	72	-	-	72	100	72	100	0	0	72	100
कुल	440	-	-	440	100	72	16.36	368	83.64	440	100
स्थायी कार्मिकों के अलावा											
पुरुष	2	-	-	-	-	-	-	2	100	-	-
महिला	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	2	-	-	-	-	-	-	2	100	-	-

ख. कामगारों के कल्याण हेतु उपायों का विवरण:

श्रेणी	कुल (क)	शामिल कार्मिकों का%									
		स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मातृत्व लाभ		पितृत्व लाभ		डे केयर सुविधाएं	
		संख्या (ख)	% (ख/क)	संख्या (ग)	% (ग/क)	संख्या (घ)	% (घ/क)	संख्या (ङ)	% (ङ/क)	संख्या (च)	% (फ/क)
स्थायी कामगार											
पुरुष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
महिला	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
स्थायी कामगारों के अलावा											
पुरुष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
महिला	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. **चालू वित्तीय वर्ष और पिछले वित्तीय वर्ष के लिए सेवानिवृत्ति लाभों का विवरण।**

लाभ		वित्तीय वर्ष 2021-22			वित्तीय वर्ष 2020-21		
		कुल कार्मिकों के % के रूप में शामिल कार्मिकों की संख्या	कुल कामगारों के % के रूप में शामिल कामगारों की संख्या	प्राधिकरण के पास घटाया और जमा किया गया (हाँ/नहीं/लागू नहीं)	कुल कार्मिकों के % के रूप में शामिल कार्मिकों की संख्या	कुल कामगारों के % के रूप में शामिल कामगारों की संख्या	प्राधिकरण के पास घटाया और जमा किया गया (हाँ/नहीं/लागू नहीं)
पीएफ		100%	लागू नहीं	हाँ	100%	लागू नहीं	हाँ
उपदान		100%	लागू नहीं	हाँ	100%	लागू नहीं	हाँ
ईएसआई		लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
अन्य, –कृपया निर्दिष्ट करें	एनपीएस	100%	लागू नहीं	हाँ	100%	लागू नहीं	हाँ
	पीआरएमएस	100%*	लागू नहीं	हाँ	100%*	लागू नहीं	हाँ

**डीपीई द्वारा निर्धारित पात्रता शर्तों के अधीन*

3. **कार्यस्थलों तक पहुंच**

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार, क्या कंपनी के परिसर/कार्यालयों की पहुंच दिव्यांग कार्मिकों और कामगारों के लिए है? यदि नहीं, तो क्या इस संबंध में कंपनी द्वारा कोई कदम उठाया जा रहे हैं।

हाँ, परिसर में अलग अलग स्थानों पर दिव्यांग कर्मचारियों के लिए एलिवेटर और रैंप, व्हील चेयर, सुसज्जित टॉयलेट और ब्रेल में दिशा संकेत हैं।

4. **क्या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार कंपनी के पास समान अवसर नीति है? यदि हाँ, तो नीति के लिए एक वेब-लिंक प्रदान करें।**

हाँ, कंपनी की समान अवसर नीति है और यह कंपनी के इंट्रानेट पर उपलब्ध है।

5. **पैतृक अवकाश लेने वाले स्थायी कार्मिकों और कामगारों की काम पर वापसी और प्रतिधारण दर।**

लिंग	स्थायी कार्मिक		स्थायी कामगार	
	कार्य दर पर वापसी	प्रतिधारण दर	कार्य दर पर वापसी	प्रतिधारण दर
पुरुष	100%	100%	-	-
महिला	100%	100%	-	-
कुल	100%	100%	-	-

6. **क्या कार्मिकों और कामगारों की निम्नलिखित श्रेणियों के लिए शिकायतों को प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए कोई तंत्र उपलब्ध है? यदि हाँ, तो उस तंत्र का संक्षेप में विवरण दें।**

	हाँ/नहीं *(यदि हाँ, तो तंत्र का संक्षेप में विवरण दें)*
स्थायी कामगार	-
स्थायी कामगारों के अलावा	-
स्थायी कार्मिक	हाँ। एक विस्तृत शिकायत निवारण तंत्र मौजूद है। यह कंपनी के इंट्रानेट पर उपलब्ध है।
स्थायी कर्मचारियों के अलावा	-

7. **सूचीबद्ध कंपनी द्वारा मान्यता प्राप्त एसोसिएशन या यूनियनों में कार्मिकों और कामगारों की सदस्यता:**

हाँ, आरईसी ने अपने गैर–पर्यवेक्षी स्थायी कार्मिकों के एक संघ और अपने अधिकारियों के एक संघ को मान्यता दी है। कंपनी के नियमित कार्मिक या तो कार्मिक संघ या आरईसी के कार्यपालक संघ के सदस्य होते हैं।

8. **कार्मिकों और कामगारों को दिए गए प्रशिक्षण का विवरण:**

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2021-22					वित्तीय वर्ष 2020-21				
	जोड़ (क)	स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों पर		कौशल उन्नयन पर		जोड़ (घ)	स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों पर		कौशल उन्नयन पर	
		संख्या (ख)	%(ख/क)	नहीं (ग)	%(ग/क)		संख्या (ङ)	% (ङ/घ)	संख्या (छ)	%(छ/घ)
कार्मिक										
पुरुष	188	25	13.3	163	86.70	358	20	5.59	114	31.84
महिला	36	2	5.56	34	94.44	70	10	14.29	35	50.00
कुल	224	27	12.05	197	87.95	428	30	7.00	149	34.81
कामगार										
पुरुष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
महिला	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9. **कार्मिकों और कामगारों के प्रदर्शन और करियर विकास की समीक्षा का विवरण:**

	वित्तीय वर्ष 2021-22			वित्तीय वर्ष 2020-21		
	जोड़ (क)	संख्या (ख)	% (ख/क)	जोड़ (ग)	संख्या (घ)	%(घ/ग)
कार्मिक						
पुरुष	71	27	38.03%	86	63*	73.26%
महिला	13	10	76.92%	20	15	75.00%
कुल	84	37	44.05%	106	78	73.58%
कामगार						
पुरुष	-	-	-	-	-	-
महिला	-	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-	-

**02 कर्मचारियों को छोड़कर जिनके लिए वित्तीय वर्ष 2019–20 में पदोन्नति के लिए विचार किया गया था लेकिन वित्तीय वर्ष 2020–21 में पदोन्नति किया गया था (रिक्ति की उपलब्धता पर)*

10. **स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली:**

क. क्या एंटिटी द्वारा कारोबारिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है? (हाँ/नहीं)। यदि हाँ, तो ऐसी प्रणाली का दायरा बताएं?

कारोबार और प्रचालन की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, कारोबारिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के मुद्दे न्यूनतम हैं। कंपनी अपने कार्मिकों के स्वास्थ्य और कल्याण का ध्यान रोगी और बाह्य रोगी चिकित्सा लागत, चिकित्सा आधार पर छुट्टी के प्रावधान, मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता के मामले में पुनर्वास नीति, जो सभी कर्मचारियों के लिए लागू होती है, की प्रतिपूर्ति करके रखती है।

ख. कार्य–संबंधी खतरों की पहचान करने और एंटिटी द्वारा नियमित और गैर–नियमित आधार पर जोखिमों का आकलन करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाएं क्या हैं?

लागू नहीं

ग. क्या आपके पास कार्य से संबंधित खतरों को रिपोर्ट करने और ऐसे जोखिमों से खुद को दूर करने हेतु कामगारों के लिए प्रक्रियाएं हैं। (हाँ/नहीं)

लागू नहीं

घ. क्या एंटिटी के कार्मिकों/कामगारों की गैर–व्यावसायिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच है? (हाँ/नहीं)

हाँ, कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करने के लिए, डॉक्टरों की अंशकालिक सेवाओं को ऑनसाइट चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए लगाया गया था। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने अपने कार्मिकों, उनके आश्रित परिवार के सदस्यों और सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए 7 (सात) कोविड टीकाकरण शिविर आयोजित किए।

11. **निम्नलिखित प्रारूप में सुरक्षा संबंधी घटनाओं का विवरण:**

सुरक्षा घटना/संख्या	श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2020-21
लोस्ट टाइम इंजरी फ्रिक्वेंसी रेट (एलटीआईएफआर) (प्रति दस लाख–व्यक्ति घंटे काम किया)	कार्मिक	लागू नहीं	
	कामगार		
कुल रिकॉर्ड करने योग्य कार्य–संबंधी चोटें	कार्मिक		
	कामगार		
मरने वालों की संख्या	कार्मिक		
	कामगार		
उच्च परिणाम कार्य–संबंधी चोट या अस्वस्थता (मृत्यु को छोड़कर)	कार्मिक		
	कामगार		

12. एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए एंटिटी द्वारा किए गए उपायों का वर्णन करें।

महामारी को देखते हुए, कंपनी ने अपने कार्मिकों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए आवश्यक सावधानियां सुनिश्चित की हैं, जिसमें कोविड उपयुक्त व्यवहार सुनिश्चित करना, टीकाकरण शिविर, दूरस्थ कार्य सुविधाएं और सामाजिक दूरी के मानदंडों का पालन करना शामिल है।

13. कार्मिकों और कामगारों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्या:

	वित्तीय वर्ष 2021-22			वित्तीय वर्ष 2020-21		
	वर्ष के दौरान दायर की गई	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान दायर की गई	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियां
काम करने की स्थिति	-	-	-	-	-	-
स्वास्थ्य और सुरक्षा	-	-	-	-	-	-

14. वर्ष के लिए आकलन:

नहीं है।

15. सुरक्षा से संबंधित घटनाओं (यदि कोई हो) तथा स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों एवं काम करने की स्थितियों के आकलन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं के समाधान के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

लागू नहीं।

नेतृत्व संकेतक

1. क्या एंटिटी (क) कार्मिकों (हाँ/नहीं) (ख) कामगारों (हाँ/नहीं) की मृत्यु की स्थिति में कोई जीवन बीमा या कोई प्रतिपूरक पैकेज प्रदान करती है ।

(क) कार्मिक– हाँ, कंपनी कार्मिक और/या उसके परिवार के सदस्य को मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता के मामले में पुनर्वास पैकेज प्रदान करती है।

(ख) कामगार– लागू नहीं।

2. यह सुनिश्चित करने के लिए कि मूल्य श्रृंखला भागीदारों द्वारा वैधानिक देय राशि काट ली गई है और जमा कर दी गई है, कंपनी द्वारा किए गए उपायों को प्रस्तुत करें।

एनबीएफसी होने के नाते, कंपनी अपने उधारकर्ताओं को दिए गए ऋण के नियमों और शर्तों में, उनके सांविधिक देय राशियों को समय पर जमा करने के लिए आवश्यक शर्तें, वैधानिक मंजूरी प्राप्त करना और वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार इसी तरह के अन्य दायित्वों को पूरा करना आदि शामिल करती है। उधारकर्ताओं के लिए भी आवश्यक है कि कंपनी को विभिन्न चरणों में इसका अनुपालन प्रस्तुत करें।

3. उन कार्मिकों / कामगारों की संख्या प्रदान करें, जिन्हें ज्यादा गंभीर कार्य-संबंधी चोट / बीमारी / मृत्यु का सामना करना पड़ा है (जैसा कि ऊपर आवश्यक संकेतकों की क्यू11 में बताया गया है), जिनका पुनर्वास किया गया है और उन्हें या उनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोजगार में नौकरी में रखा गया है:

वित्तीय वर्ष 2020–21 और वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए शून्य

4. क्या एंटिटी निरंतर रोजगार योग्यता और सेवानिवृत्ति या रोजगार की समाप्ति के परिणामस्वरूप करियर के अंत के प्रबंधन की सुविधा के लिए ट्रांजिशन असिस्टेंस प्रोग्राम्स प्रदान करती है? (हाँ/नहीं)

कंपनी एक सीपीएसई है, जो सेवानिवृत्ति या रोजगार की समाप्ति के मामलों में डीपीई के रोजगार मानदंडों का पालन करती है। कंपनी अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ और अन्य कल्याणकारी उपाय भी प्रदान करती है।

5. मूल्य श्रृंखला भागीदारों के मूल्यांकन पर विवरण:

नहीं है।

6. स्वास्थ्य और सुरक्षा कार्यप्रणाली और मूल्य श्रृंखला भागीदारों की कार्य स्थितियों के आकलन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों / चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

लागू नहीं।

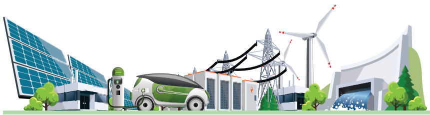

सिद्धांत 4 : कारोबार में प्रत्येक के हितों का सम्मान होना चाहिए तथा प्रत्येक हितधारकों को कार्य के प्रति प्रतिक्रियात्मक होना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. **एंटिटी के प्रमुख हितधारक समूहों की पहचान के लिए प्रक्रियाओं का वर्णन करें।**

हाँ। कंपनी ने अपने आंतरिक और बाहरी हितधारकों को मैप्ड किया है। आंतरिक हितधारकों में कंपनी के कार्मिक और कर्मचारी शामिल हैं; और बाहरी हितधारकों में इक्विटी शेयरधारक, बॉण्डधारक, लेनदार, बैंकर, उधारकर्ता और सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों के ग्राहक, सरकारी निकाय और नियामक प्राधिकरण सहित राज्य सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, स्टॉक एक्सचेंज आदि शामिल हैं।

2. **अपनी एंटिटी के लिए कुंजी के रूप में पहचाने गए हितधारक समूहों और प्रत्येक हितधारक समूह के साथ कारोबार की आवृत्ति की सूची बनाएं।**

हितधारक समूह	क्या कमजोर और सीमांत समूह के रूप में पहचान की गई है (हाँ/नहीं)	संचार के प्रकार (ईमेल, एसएमएस, समाचार पत्र, पैम्फलेट, विज्ञापन, सामुदायिक बैठकें, नोटिस बोर्ड, वेबसाइट), अन्य	कारोबार की आवृत्ति (वार्षिक/अर्धवार्षिक/त्रैमासिक/अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें)	इस तरह के जुड़ाव के दौरान उठाए गए प्रमुख विषयों और चिंताओं सहित जुड़ाव का उद्देश्य और दायरा
शेयरधारकों	नहीं	ईमेल/एसएमएस/वेबसाइट/पत्र/टेलीफोन/ समाचार पत्र आदि।	त्रैमासिक आधार पर एजीएम के माध्यम से, पोस्टल बैलेट और जब भी आवश्यक हो।	वित्तीय परिणामों का संचार, वित्तीय विवरण को अपनाना और समय–समय पर सामान्य और विशेष कारोबार का लेन–देन करना। शेयरधारकों के अनुरोधों/शिकायतों का समय–समय पर समाधान करना।
बॉण्डधारकों	नहीं	ईमेल/एसएमएस/वेबसाइट/पत्र/टेलीफोन/समाचार पत्र आदि।	जब भी आवश्यक हो।	आवंटन, ब्याज सर्विसिंग, विमोचन भुगतान, बॉन्ड प्रमाणपत्र/डीमैट क्रेडिट। बॉन्डधारकों के अनुरोधों/शिकायतों का समय–समय पर समाधान करना।
विक्रेताओं	नहीं	ईमेल/एसएमएस/वेबसाइट/पत्र/टेलीफोन /जीईएम, टेंडर विजार्ड और सरकार के अन्य पोर्टल।	जब भी आवश्यक हो।	विक्रेता विकास कार्यक्रम समय–समय पर आयोजित किए जाते हैं।
ग्राहकों	नहीं	ईमेल/एसएमएस/वेबसाइट/पत्र/टेलीफोन	नियमित आधार पर।	भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज, हैदराबाद के माध्यम से ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण 2022 आयोजित किया गया।

नेतृत्व संकेतक

1. **आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक विषयों पर हितधारकों और बोर्ड के बीच परामर्श के लिए प्रक्रियाएं प्रदान करें या यदि परामर्श प्रत्यायोजित किया जाता है, तो बोर्ड को इस तरह के परामर्श से फीडबैक कैसे प्रदान किया जाता है।**

अपने कारोबार से संबंधित आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक विषयों को संबोधित करने के लिए पहले से ही विभिन्न बोर्ड–अनुमोदित नीतियां हैं। उक्त नीतियों को प्रासंगिक हितधारकों के इनपुट के आधार पर समय–समय पर विस्तार किया जाता है।

कंपनी ने पर्यावरणीय, सामाजिक और सरकारी मामलों पर ईएसजी नीति तैयार करने के लिए अपने वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति बनाई है, जो नियत समय में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

2. **क्या पर्यावरणीय और सामाजिक विषयों की पहचान और प्रबंधन का सहयोग करने के लिए हितधारक परामर्श का उपयोग किया जाता है (हाँ / नहीं)। यदि हाँ, तो ऐसे उदाहरणों का विवरण प्रदान करें कि कैसे इन विषयों पर हितधारकों से प्राप्त इनपुट को एंटिटी की नीतियों और गतिविधियों में शामिल किया गया था।**

हाँ, पर्यावरणीय और सामाजिक विषयों की पहचान और प्रबंधन का सहयोग करने के लिए हितधारक परामर्श का उपयोग किया जाता है:

क. वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, विद्युत मंत्रालय की मंजूरी के साथ, कंपनी के उत्पाद पोर्टफोलियो में ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा दक्षता और पर्यावरणीय पहलुओं सहित कारोबार की नई लाइनों को जोड़ने के लिए कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्ट क्लॉज में संशोधन किया गया था जिसमे सह–उत्पादन/त्रि–उत्पादन/संयुक्त ताप और विद्युत, ई–मोबिलिटी और संबद्ध अवसंरचना, विद्युत क्षेत्र के लिए उपकरण निर्माण का वित्तपोषण, विद्युत और विद्युत यांत्रिक/जलविद्युत प्रणालियों का वित्तपोषण, लिफ्ट सिंचाई की परियोजनाएं, स्मार्ट सिटी, रेलवे का विद्युतीकरण सहित बिजली लाइन, हवाई अड्डा, ऊर्जा संरक्षण के लिए कार्य, अपशिष्ट ताप वसूली प्रणाली आदि शामिल है।

ख. उपरोक्त के अलावा, आरईसी सुधार–आधारित और रिजल्ट्स–लिंक्ड संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के लिए एक नोडल एजेंसी है, जो डिस्कॉम को सुधार करने और समयबद्ध तरीके से उनके प्रदर्शन में सुधार करने के लिए सहयोग करती है। आरडीएसएस, अन्य बातों के साथ–साथ वित्तीय रूप से टिकाऊ और परिचालन रूप से कुशल वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और सामर्थ्य में सुधार करके 2024–25 तक एटी एंड सी के घाटे को 12–15% के अखिल भारतीय स्तर तक और एसीएस–एआरआर के अंतर को 2024–25 तक शून्य करना होगा। नोडल एजेंसी के रूप में, आरईसी देश के लिए एक बेहतर विद्युत क्षेत्र की दिशा में विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की इस पहल में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है।

ग. कंपनी अधिनियम, 2013 और सीएसआर पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप आरईसी की एक सुपरिभाषित सीएसआर नीति है। डीपीई दिशानिर्देशों के संदर्भ में वर्ष 2021–22 के लिए, जिसमें सीपीएसई को अपने सीएसआर बजट का 60% "स्वास्थ्य और पोषण, कोविड संबंधित उपायों पर विशेष ध्यान देने के साथ–साथ अस्थायी अस्पतालों और अस्थायी कोविड देखभाल सुविधाओं की स्थापना सहित" विषय पर खर्च करना अनिवार्य है", अधिमानतः आकांक्षी जिलों में, कंपनी ने गजपति (ओडिशा), ममित (मिजोरम), किफिर (नागालैंड), मुजफ्फरपुर (बिहार), उधम सिंह नगर (उत्तराखंड), चंदेल (मणिपुर) और पश्चिम सिक्किम (सिक्किम) जिले में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और कुपोषण को कम करने के उद्देश्य से विभिन्न सीएसआर परियोजनाएं शुरू कीं।

3. **कमजोर/सीमांत हितधारक समूहों की चिंताओं को दूर करने के लिए उठाए गए कदम और उनके साथ जुड़ाव के उदाहरणों का विवरण प्रदान करें।**

आरईसी एमएसएमई से खरीद को बढ़ावा देता है और अपनी खरीद प्रक्रियाओं में पंजीकृत एमएसएमई को कुछ सुविधाएं प्रदान करता है। आरईसी की अपने कार्मिकों के लिए कल्याण उन्मुख नीतियां हैं, खासकर जो कमजोर हैं।

कंपनी उन इक्विटी शेयरधारकों और बॉण्डधारकों तक पहुंचने के लिए नियमित आधार पर प्रयास करती है, जिनके पास दावा न की गई लाभांश राशि/शेयर या दावा न की गई विमोचन राशि कंपनी के पास रखी है, ताकि ऐसे निवेशक अपना सही बकाया प्राप्त करने से न चूकें।

सिद्धांत 5 : कारोबारियों को मानवाधिकारों का सम्मान और उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. **कार्मिक और कामगार जिन्हें निम्नलिखित प्रारूप में मानव अधिकारों के मुद्दों और एंटिटी की नीति पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है:**

वित्तीय वर्ष 2021–22 और वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए नहीं है।

2. **कार्मिकों और कामगारों को दी जाने वाली न्यूनतम मजदूरी का निम्न प्रारूप में विवरण:**

सभी स्थायी कार्मिकों को डीपीई के दिशा–निर्देशों के अनुसार पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है जो न्यूनतम वेतन से अधिक है

3. **पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी का निम्नलिखित प्रारूप में विवरण:**

	पुरुष		महिला	
	संख्या	औसत पारिश्रमिक/वेतन/ संबंधित श्रेणी का वेतन	संख्या	औसत पारिश्रमिक/वेतन/ संबंधित श्रेणी का वेतन
निदेशक मंडल (बीओडी)	1	85,31,281	-	-
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	1	85,87,993	-	-
निदेशक मंडल और केएमपी के अलावा अन्य कार्मिक	329	28,65,225	65	28,84,107
कामगार	-	-	-	-

टिप्पणियां:

1. *उपरोक्त अनुसूची में केवल स्थायी कर्मचारी शामिल हैं जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान 12 महीने की पूरी अवधि के लिए कार्य किया है।*
2. *पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 के तहत भत्तों में छूट और पेंशन योजना के लिए नियोक्ता का योगदान शामिल है। इसके अलावा, यह आरईसी उपदान निधि में नियोक्ता के योगदान, बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर छुट्टी नकदीकरण प्रावधान, कर्मचारियों को दी जाने वाली विभिन्न प्रतिपूर्ति जैसे वर्दी, मनोरंजन, वाहन, बिजली, पानी और परिचारक शुल्क और छूट चिकित्सा इसमें शामिल नहीं है।*
3. *उपरोक्त पारिश्रमिक का भुगतान इस संबंध में डीपीई द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप किया जाता है।*
4. *कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान कोई स्टॉक विकल्प नहीं दिया है।*

4. **क्या आपके पास कारोबार द्वारा उत्पन्न या योगदान किए गए मानवाधिकारों के प्रभावों या मुद्दों का समाधान करने के लिए जिम्मेदार एक केंद्र बिंदु (व्यक्ति / समिति) है? (हाँ/नहीं)**

हाँ।

5. **मानवाधिकार मुद्दों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए मौजूद आंतरिक तंत्रों का वर्णन करें।**

कंपनी के पास विस्तृत शिकायत निवारण तंत्र मौजूद है। कोई भी पीड़ित कर्मचारी उक्त तंत्र के माध्यम से राहत की मांग कर सकता है। उक्त नीति कर्मचारियों के लिए इंट्रानेट पर उपलब्ध है।

6. **कार्मिकों और कामगारों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्या:**

	वित्तीय वर्ष 2021-22			वित्तीय वर्ष 2020-21		
	वर्ष के दौरान दायर की गई	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान दायर की गई	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियां
यौन उत्पीड़न	-	-	-	-	-	-
कार्यस्थल पर भेदभाव	-	-	-	-	-	-
बाल श्रम	-	-	-	-	-	-
जबरन श्रम / अनैच्छिक श्रम	-	-	-	-	-	-
वेतन	-	-	-	-	-	-
मानवाधिकार से जुड़े अन्य मुद्दे	-	-	-	-	-	-

7. **भेदभाव और उत्पीड़न के मामलों में शिकायतकर्ता के प्रतिकूल परिणामों को रोकने के लिए तंत्र।**

कंपनी की व्हिसल ब्लोअर नीति के अनुसरण में, जहाँ कहीं आवश्यक हो, शिकायतकर्ता को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक तंत्र स्थापित किया गया है। व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी https://recindia.nic.in/uploads/files/Whistle_Blower_Policy.pdf. पर उपलब्ध है।

आरईसी का मानना है कि एक स्थायी संगठन नैतिकता और मानवाधिकारों के सम्मान की नींव पर टिका होता है। कंपनी कार्यस्थल में विविधता और समान अवसर सुनिश्चित करती है और यह मानती है कि करियर की उन्नति प्रतिभा और प्रदर्शन पर आधारित है।

8. **क्या मानवाधिकार आवश्यकताएं आपके कारोबारिक समझौतों और अनुबंधों का हिस्सा हैं? (हाँ/नहीं)**

कारोबारिक समझौते और अनुबंध मुख्य रूप से ऋण दस्तावेजों की प्रकृति के होते हैं, जो उधारकर्ताओं को स्वीकृत विशिष्ट शर्तों के आधार पर निष्पादित किए जाते हैं। मानवाधिकार आवश्यकताएं उक्त ऋण दस्तावेजों का हिस्सा नहीं हैं। कर्मचारियों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए, आरईसी ने सामान्य कानूनों और ठोस नैतिक कार्यप्रणाली के अनुरूप कर्मचारी–उन्मुख नीतियों को अपनाया है।

9. **वर्ष के लिए आकलन:**

वित्तीय वर्ष 2020–21 और वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए शून्य।

10. **उपरोक्त प्रश्न 9 में मूल्यांकनों से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।**

लागू नहीं।

नेतृत्व संकेतक

1. **मानवाधिकार प्रतिवेदनाओं/शिकायतों का समाधान करने के परिणामस्वरूप संशोधित/प्रारम्भ की जा रही कारोबारिक प्रक्रिया का विवरण।**

लागू नहीं।

2. **किए गए किसी भी मानवाधिकार के बारे में उचित सावधानी बरतने के दायरे और कवरेज का विवरण।**

लागू नहीं।

3. **क्या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार एंटिटी का परिसर/कार्यालय दिव्यांग आगंतुकों के लिए सुलभ है?**

हाँ, विभिन्न बिंदुओं पर ब्रेल में दिशा के संकेत के साथ एलिवेटर और रैंप, व्हील चेयर सुलभ टॉयलेट और परिसर में दिव्यांग आगंतुकों के लिए पहुंच योग्य है।

4. **मूल्य श्रृंखला भागीदारों के मूल्यांकन पर विवरण:**

वित्तीय वर्ष 2020–21 और वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए शून्य।

5. **उपरोक्त प्रश्न 4 में मूल्यांकनों से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।**

लागू नहीं।

सिद्धांत 6 : कारोबारियों को पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए और उसकी रक्षा और उसे सुधारने का प्रयास करना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. **निम्नलिखित प्रारूप में कुल ऊर्जा खपत (जूल या गुणकों में) और ऊर्जा तीव्रता का विवरण:**

आरईसी एक एनबीएफसी है और इसके पास उत्पादन/निर्माण की सुविधा नहीं है, इसलिए इसकी ऊर्जा तीव्रता सीमित है।

हालाँकि, आरईसी ने अपनी बिजली की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपने कॉर्पोरेट कार्यालय में एक 979 केडब्ल्यूपी रूफ टॉप सोलर प्लांट स्थापित किया है। सौर संयंत्र क्रियाशील है और जुलाई 2021 से ग्रिड से जुड़ा है और इसने 8,22,072 यूनिट बिजली का उत्पादन किया है, जिसने वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान आरईसी कॉर्पोरेट कार्यालय भवन (अर्थात 16,30,956 इकाइयों) की कुल लोड आवश्यकता का लगभग 50% पूरा किया है। भवन में ऊर्जा की बचत के लिए स्लैब के लिए रेडिएंट कूलिंग, इंटीग्रेटेड बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम (आईबीएमएस), स्वचालित सेंसर नियंत्रित प्रकाश व्यवस्था, मोटराइज्ड ब्लाइंड्स के साथ जैव–जलवायु कांच के अग्रभाग आदि भी शामिल हैं।

2. **क्या एंटिटी के पास भारत सरकार की प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना के तहत नामित उपभोक्ताओं (डीसी) के रूप में पहचान की गई कोई साइट/सुविधाएं हैं? (हाँ / नहीं) यदि हाँ, तो बताएं कि क्या पीएटी योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य हासिल किए गए हैं। यदि लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है, तो की गई उपचारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो, तो बताएं।**

लागू नहीं।

3. **जल से संबंधित निम्नलिखित प्रकटीकरण का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:**

आरईसी एक एनबीएफसी है और इसके पास उत्पादन/निर्माण की सुविधा नहीं है, इसलिए इसकी पानी की तीव्रता नगण्य है।

4. **क्या एंटिटी ने शून्य तरल निर्वहन के लिए एक तंत्र लागू किया है? यदि हाँ, तो इसके कवरेज और कार्यान्वयन का ब्यौरा दें।**

लागू नहीं।

5. **कृपया निम्नलिखित प्रारूप में एंटिटी द्वारा वायु उत्सर्जन (जीएचजी उत्सर्जन के अलावा) का विवरण प्रदान करें:**

आरईसी कोई निर्माण या उत्पादन कंपनी नहीं है। हालांकि, सभी बिजली परियोजनाओं के लिए इसकी मूल्यांकन प्रक्रिया के एक भाग के रूप में, आरईसी परियोजनाओं के संभावित पर्यावरणीय जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन करता है। पर्यावरणीय मुद्दों, यदि कोई हों, की पहचान उचित परिश्रम, साइट के दौरे और लागू अनुपालनों की समीक्षा आदि के माध्यम से की जाती है।

6. **निम्नलिखित प्रारूप में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन) और इसकी तीव्रता का विवरण प्रदान करें:**

लागू नहीं।

7. **क्या एंटिटी के पास ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हाँ, तो विवरण दें।**

लागू नहीं।

आरईसी भारत में नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपोषण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। देश ने 2030 तक 500 गीगावॉट स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है और 2030 तक

कुल ऊर्जा आवश्यकता के 50% तक हरित ऊर्जा की हिस्सेदारी में वृद्धि की है। इसके अलावा, नवंबर 2021 में ग्लोस्गो, यूके यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (यूएनएफसीसी) में पार्टियों के सम्मेलन (सीओपी26) के 26 वें सत्र में, 2030 तक भारत के कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में एक बिलियन टन की कटौती करने का निर्णय लिया गया था, दशक के अंत तक देश की अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% से कम करना और 2070 तक निवल–शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करना।

नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप, आरईसी नवीकरणीय परियोजनाओं के लिए प्रतिस्पर्धी वित्तपोषण को बढ़ावा दे रहा है। आरईसी ने सौर, पवन, बायोमास परियोजनाओं और ई–मोबिलिटी सहित देश भर में स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के प्रतिस्पर्धी वित्तपोषण के लिए विभिन्न नीतियां प्रस्तावित हैं। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ₹14,733.52 करोड़ की कुल मंजूरी 15 नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए थी, जिसमें कुल स्थापित उत्पादन क्षमता 1,609 मेगावाट थी।

नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए कंपनी की नीतियों की समय–समय पर समीक्षा की जाती है, ताकि इसकी निरंतर विकसित और गतिशील जरूरतों को पूरा किया जा सके। अब तक, आरईसी ने देश के लिए हरित भविष्य का समर्थन करने के लिए लगभग 11.6 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को वित्तीय पोषित किया है। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए आरईसी के वित्तपोषण मानदंड कॉर्पोरेट वेबसाइट https://www.recindia.nic.in/renewables पर देखे जा सकते हैं।

आरईसी वर्ष 2017 में लंदन स्टॉक एक्सचेंज के इंटरनेशनल सिक्योरिटीज मार्केट सेगमेंट में सूचीबद्ध ग्रीन बॉण्ड्स के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय बाजारों से धन जुटाने वाला पहला भारतीय पीएसयू है, जिसकी अवधि 10 साल है, जिसकी आय वित्तपोषण या जलवायु बॉण्ड मानकों के अनुसार पात्र हरित परियोजनाओं का पुनर्वित्तपोषण के लिए लागू होती है।

8. **एंटिटी द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:**

पैरामीटर	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2020-21
उत्पन्न कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
प्लास्टिक अपशिष्ट (क)	-	-
ई–अपशिष्ट (ख)	140 यूनिटों को ई–अपशिष्ट के रूप में निपटाए जाने के लिए चिन्हित किया गया है।	177 यूनिटों को ई–अपशिष्ट के रूप में निपटाए जाने के लिए चिन्हित किया गया है।
जैव–चिकित्सा अपशिष्ट (ग)	-	-
निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट (घ)	-	-
बैटरी अपशिष्ट (ङ)	-	-
रेडियोधर्मी अपशिष्ट (च)	-	-
अन्य खतरनाक अपशिष्ट। कृपया निर्दिष्ट करें, यदि कोई हो। (छ)	-	-
अन्य गैर–खतरनाक अपशिष्ट उत्पन्न (ज)। कृपया निर्दिष्ट करें, यदि कोई हो। (संरचना के आधार पर ब्रेक–अप अर्थात क्षेत्र से संबंधित सामग्री द्वारा)	-	-
जोड़ (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ+ज)	**140 यूनिटों को ई-अपशिष्ट के रूप में निपटाए जाने के लिए चिन्हित किया गया है।***	**177 यूनिटों को ई-अपशिष्ट के रूप में निपटाए जाने के लिए चिन्हित किया गया है।***
उत्पन्न कचरे की प्रत्येक श्रेणी के लिए, पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग या अन्य पुनर्प्राप्ति कार्यों के माध्यम से प्राप्त कुल प्राप्त अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
कचरे की श्रेणी		
(i) पुनर्चक्रण	-	-
(ii) पुनः उपयोग किया गया	-	-
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति कार्यों	-	-
जोड़		
उत्पन्न कचरे की प्रत्येक श्रेणी के लिए, निपटान विधि की प्रकृति के अनुसार कुल अपशिष्ट निपटान (मीट्रिक टन में)		
कचरे की श्रेणी		
(i) भस्मीकरण	-	-
(ii) लैंडफिलिंग	-	-
(iii) अन्य निपटान प्रचालन	-	-
जोड़	**-**	**-**

टिप्पणी : क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्य निर्धारण/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएं।

*कारोबार की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, कंपनी ई–अपशिष्ट की नगण्य मात्रा के अलावा कोई भौतिक अपशिष्ट उत्पन्न नहीं करती है।

9. **अपने प्रतिष्ठानों में अपनाए गए अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं का संक्षेप में वर्णन करें। अपने उत्पादों और प्रक्रियाओं में खतरनाक और जहरीले रसायनों के उपयोग को कम करने के लिए अपनी कंपनी द्वारा अपनाई गई रणनीति और ऐसे अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए अपनाई गई प्रथाओं का वर्णन करें।**

ई–अपशिष्ट के रूप में पहचाने जाने वाले पुराने, अनुपयोगी और अप्रचलित आईटी उपकरणों का निपटान, आरईसी के खरीद दिशानिर्देशों के तहत परिभाषित प्रक्रिया का पालन करते हुए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण समिति/बोर्ड के तहत पंजीकृत पुनर्नवीनीकरण/री–प्रोसेसर के माध्यम से किया जाता है।

10. **यदि एंटिटी के पास पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, आर्द्रभूमि, जैव विविधता हॉटस्पॉट, वन, तटीय विनियमन क्षेत्र आदि) में संचालन/कार्यालय हैं, जहाँ पर्यावरण अनुमोदन/मंजूरी की आवश्यकता है, कृपया निम्नलिखित प्रारूप में विवरण निर्दिष्ट करें:**

कंपनी अखिल भारतीय प्रचालन के साथ एक एनबीएफसी है। इसका पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली में है और कॉर्पोरेट कार्यालय गुरुग्राम में है। कंपनी के पूरे भारत में क्षेत्रीय/राज्य कार्यालय हैं, जो राज्यों की राजधानियों में स्थित हैं। कंपनी के कार्यालय पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में स्थित नहीं हैं।

11. **चालू वित्तीय वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर एंटिटी द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का विवरण:**

आरईसी एक एनबीएफसी होने के नाते, बिजली परियोजनाओं का वित्तपोषण करता है लेकिन किसी भी परियोजना का स्वामित्व या निष्पादन/कार्यान्वयन नहीं करता है।

आरईसी द्वारा वित्तीय पोषित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए, कंपनी को उधारकर्ताओं को लागू नियमों और विनियमों के अनुसार पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव आकलन (ईएसआईए) जमा करने की आवश्यकता होती है।

12. **क्या एंटिटी भारत में लागू पर्यावरणीय कानून/विनियमों/दिशानिर्देशों का अनुपालन करती है; जैसे जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और उसके तहत नियम (हाँ/नहीं)। यदि नहीं, तो ऐसे सभी गैर-अनुपालनों का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:**

आरईसी एक विनिर्माण कंपनी नहीं है। इसलिए, दिए गए प्रश्न की सीमित प्रासंगिकता है। हालांकि, कंपनी अपने परिसर और संचालन के संबंध में लागू पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन करती है। कंपनी अपने द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के उचित परिश्रम में पर्यावरण संबंधी चिंताओं को भी शामिल करती है।

नेतृत्व संकेतक

1. **नवीकरणीय और गैर-नवीकरणीय स्रोतों से खपत की गई कुल ऊर्जा (जूल या गुणकों में) का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:**

आरईसी ने अपनी बिजली की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपने कॉर्पोरेट कार्यालय में 979 केडब्ल्यूपी रूफ टॉप सोलर प्लांट स्थापित किया है। जुलाई 2021 से सौर संयंत्र कार्य कर रहा है और ग्रिड से जुड़ा हुआ है और वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान इसने 8,22,072 यूनिट बिजली का उत्पादन किया है, जिसने आरईसी कॉर्पोरेट कार्यालय भवन (अर्थात 16,30,956 यूनिट्स) की कुल लोड आवश्यकता का लगभग 50% पूरा किया है। भवनों में ऊर्जा की बचत के लिए स्लैब के लिए रेडिएंट कूलिंग, इंटीग्रेटेड बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम (आईबीएमएस), स्वचालित सेंसर नियंत्रित प्रकाश व्यवस्था, मोटराइज्ड ब्लाइंड्स के साथ जैव–जलवायु कांच के अग्रभाग आदि भी हैं।

2. **डिस्चार्ज किए गए जल से संबंधित निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:**

लागू नहीं।

3. **जल की कमी वाले क्षेत्रों में जल निकासी, खपत और निर्वहन (किलोलीटर में):**

पानी की कमी वाले क्षेत्रों में स्थित प्रत्येक सुविधा/संयंत्र के लिए निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:

(i) क्षेत्र का नाम

(ii) संचालन की प्रकृति

(iii) निम्नलिखित प्रारूप में जल निकासी, खपत और निर्वहन:

लागू नहीं।

4. **कृपया निम्नलिखित प्रारूप में कुल स्कोप 3 उत्सर्जन और इसकी तीव्रता का विवरण प्रदान करें:**

लागू नहीं।

5. **उपरोक्त आवश्यक संकेतकों के प्रश्न 10 में बताए गए पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के संबंध में, रोकथाम और उपचारात्मक गतिविधियों के साथ-साथ ऐसे क्षेत्रों में जैव विविधता पर एंटीटी के महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव का विवरण प्रदान करें।**

लागू नहीं।

6. **यदि एंटिटी ने कोई विशिष्ट पहल की है या संसाधन दक्षता में सुधार के लिए नवीन प्रौद्योगिकी या समाधानों का उपयोग किया है, या उत्सर्जन/अपशिष्ट निर्वहन/अपशिष्ट से उत्पन्न वाले प्रभाव को कम किया है, तो कृपया उसका विवरण और साथ ही इस तरह की पहल के परिणाम निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार प्रदान करें:**

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, कंपनी गुरुग्राम, हरियाणा में अपने नए कॉर्पोरेट कार्यालय भवन में स्थानांतरित हो गई है, जिसमें एयर कंडीशनिंग के लिए बिजली की खपत को 30% तक कम करने के लिए स्लैब के लिए रेडिएंट कूलिंग, इंटीग्रेटेड बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम (आईबीएमएस) बिजली की खपत को बचाने के लिए स्वचालित सेंसर नियंत्रित प्रकाश व्यवस्था, मोटराइज्ड ब्लाइंड्स के साथ जैव–जलवायु ग्लास अग्रभाग और अन्य नवीनतम तकनीकी विशेषताएं जैसी सुविधाएँ हैं। कंपनी ने अपनी बिजली की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपने कॉर्पोरेट कार्यालय में एक 979 केडब्ल्यूपी रूफ टॉप सोलर प्लांट भी स्थापित किया है, जो वर्ष के दौरान कॉर्पोरेट कार्यालय भवन की बिजली की आवश्यकता का लगभग 50% पूरा करता है। अत्यधिक कुशल सौर पैनल (दक्षता = 21.2%) जुलाई 2021 से स्थापित और संचालित हो रहे हैं।

कागज की खपत को कम करने के लिए, आरईसी देश भर में अपने सभी कार्यालयों में 'ई–ऑफिस' प्रणाली का प्रयोग करता है। आरईसी ने अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य के लिए सावधानी बरतते हुए कारोबारिक निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए, विशेष रूप से महामारी की शुरुआत के बाद, सुरक्षित आईटी प्रणालियों और प्रक्रियाओं के माध्यम से दूरस्थ कार्य विधियों का सक्रिय रूप से उपयोग किया है।

7. **क्या एंटिटी के पास कारोबार निरंतरता और आपदा प्रबंधन योजना है? 100 शब्दों/वेब लिंक में विवरण दें।**

हाँ, आरईसी ने अपने डेटा सेंटर और डिजास्टर रिकवरी ऑपरेशंस के लिए कारोबार निरंतरता और आपदा रिकवरी योजना लागू की है और यह आईएसओ 27001:2013 प्रमाणित भी है।

आरईसी के प्राथमिक डाटा सेंटर (पीडीसी) और आपदा रिकवरी सेंटर (डीआरसी) आईएसओ/आईईसी 27001:2013 प्रमाणित हैं और भारत सरकार की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति का भी अनुपालन करते हैं। कॉर्पोरेट नेटवर्क के बाहर गोपनीय और महत्वपूर्ण जानकारी को साझा करने से रोकने के लिए आरईसी ने डीसी और डीआरसी में डेटा लीकेज एंड प्रिवेंशन (डीएलपी) सिस्टम भी लागू किया है। इसके अलावा, आरईसी ने एनबीएफसी के लिए आईटी ढांचे के आरबीआई के मास्टर निर्देश के आईटी सुरक्षा निर्देशों को लागू किया है।

8. **एंटिटी की मूल्य श्रृंखला से उत्पन्न होने वाले पर्यावरण पर किसी भी महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव का प्रकटीकरण करें। इस संबंध में एंटिटी द्वारा क्या शमन या अनुकूलन संबंधी उपाय किए गए हैं।**

आरईसी सरकार के निर्देशों के अनुरूप ताप विद्युत संयंत्रों में प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की स्थापना का वित्तपोषण भी कर रही है। इसमें फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडीएस), सेलेक्टिव कैटेलिटिक रिडक्शन (एससीआर) और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसिपिटेटर्स (ईएसपी) की संस्थापना शामिल है, जो हानिकारक उत्सर्जन और पार्टिकुलेट मैटर को रोकने में योगदान करते हैं। वित्तीय वर्ष के दौरान आरईसी ने प्रदूषण नियंत्रण उपकरण की स्थापना के लिए 9 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसमें कुल ऋण राशि ₹752 करोड़ है।

9. **मूल्य श्रृंखला भागीदारों का प्रतिशत (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए कारोबार के मूल्य से) जिनका मूल्यांकन पर्यावरणीय प्रभावों के लिए किया गया था।**

एक एनबीएफसी होने के नाते आरईसी परियोजना का स्वामित्व या निष्पादन/कार्यान्वयन नहीं करता है। आरईसी द्वारा वित्तीय पोषित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए, कंपनी को अपने उधारकर्ताओं को लागू नियमों और विनियमों के अनुसार पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव आकलन (ईएसआईए) प्राप्त करने की आवश्यकता है।

सिद्धांत 7: कारोबारी जब सार्वजनिक और नियामक नीति को प्रभावित करने में संलग्न होते हैं, तो उन्हें ऐसा जिम्मेदारी पूर्ण रूप से और पारदर्शी तरीके से करना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. क. **व्यापार और उद्योग महासंघ/संघ के साथ संबद्धता की संख्या।**

13 (तेरह)

ख. **शीर्ष 10 व्यापार और उद्योग महासंघों/संघों (ऐसे निकाय के कुल सदस्यों के आधार पर निर्धारित) की सूची बनाएं, जो एंटिटी का सदस्य/ संबद्ध है।**

क्र. सं.	व्यापार और उद्योग महासंघ/संघ का नाम	व्यापार और उद्योग महासंघ/संघ की पहुंच (राज्य/राष्ट्रीय)
1.	भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई)	राष्ट्रीय
2.	भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की)	राष्ट्रीय
3.	द एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचेम)	राष्ट्रीय
4.	केंद्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड (सीबीआईपी)	राष्ट्रीय
5.	विश्व ऊर्जा परिषद (डब्ल्यूईसी), भारत	राष्ट्रीय
6.	स्टैंडिंग कांफ्रेंस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज (स्कोप)	राष्ट्रीय
7.	अखिल भारतीय प्रबंधन संघ (एआईएमए)	राष्ट्रीय
8.	सार्वजनिक उद्यम संस्थान (आईपीई)	राष्ट्रीय
9.	अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए)	अंतरराष्ट्रीय
10.	संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट	अंतरराष्ट्रीय

2. **नियामक प्राधिकरणों के प्रतिकूल आदेशों के आधार पर एंटिटी द्वारा प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण से संबंधित किसी भी मुद्दे पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।**

नियामक अधिकारियों की ओर से कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया गया था।

नेतृत्व संकेतक

1. **एंटिटी द्वारा समर्थित सार्वजनिक नीति पदों का विवरण:**

आरईसी विश्व ऊर्जा परिषद (डब्ल्यूईसी) का सदस्य है, जो ऊर्जा मंत्रालयों और ऊर्जा क्षेत्र में अग्रणी संगठनों के समर्थन से एमओपी के संरक्षण में कार्य करता है। इसकी अध्यक्षता विद्युत मंत्रालय के सचिव, एमओपीएनजी कोयला, एमएनआरई, विदेश मंत्रालय और सीईए, परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिवों द्वारा की जाती है जो निकाय के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। विद्युत मंत्रालय द्वारा गठित विभिन्न समितियों/कार्य समूहों के हिस्से के रूप में आरईसी के निदेशक और वरिष्ठ अधिकारी विद्युत क्षेत्र से संबंधित विभिन्न नीतियों के निर्माण में योगदान देते हैं।

कंपनी ने समय–समय पर विभिन्न प्लेटफार्मों के माध्यम से स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा की वकालत की है। कंपनी अपने सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से विद्युत क्षेत्र से संबंधित मामलों पर लोगों में जागरूकता फैलाती है।

आरईसी ने कई वर्षों के समर्पित प्रयासों के साथ, देश में विशेष रूप से दूर–दराज के क्षेत्रों में गांवों और घरेलू विद्युतीकरण को प्राप्त करने में योगदान दिया है। कंपनी *दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य)* जैसी प्रमुख बिजली क्षेत्र की योजनाओं के लिए नोडल एजेंसी रही है। सौभाग्य योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान आरईसी ने देश में 4.41 लाख घरों के विद्युतीकरण में योगदान दिया है। आरईसी वर्तमान में विभिन्न वित्तीय और परिचालन मुद्दों के साथ लंबे समय से संघर्ष कर रहे वितरण क्षेत्र में सुधार के लिए संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के लिए नोडल एजेंसी की भूमिका निभा रहा है।

आरईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी, आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) स्मार्ट मीटरिंग, 11 केवी ग्रामीण फीडर निगरानी योजना और घरेलू विद्युतीकरण कार्यों की निगरानी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम कर रही है, जिसका उद्देश्य देश में बिजली क्षेत्र को बेहतर करना है।

सिद्धांत 8 : कारोबारियों को समावेशी विकास और समान विकास को बढ़ावा देना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. **चालू वित्तीय वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर एंटिटी द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) का विवरण।**

   लागू नहीं।

2. **आपकी एंटिटी द्वारा चल रही परियोजना (परियोजनाओं) के बारे में जानकारी निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें जिसके लिए पुनर्वास और पुर्नस्थापन (आर एंड आर) किया जा रहा है:**

   लागू नहीं।

3. **समुदाय की शिकायतों को प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए तंत्र का वर्णन करें।**

   कंपनी के पास व्यापक रूप से जनता की शिकायतों से निपटने के लिए एक लोक शिकायत निवारण प्रणाली है। निर्धारित समय सीमा के भीतर शिकायतों का त्वरित निवारण सुनिश्चित करने के लिए कंपनी ने इस संबंध में एक वरिष्ठ अधिकारी को अध्यक्ष, लोक शिकायत समिति के रूप में नियुक्त किया है।

4. **आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त इनपुट सामग्री का प्रतिशत (मूल्य के आधार पर कुल इनपुट में इनपुट):**

	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2020-21
सीधे एमएसएमई / छोटे उत्पादकों से प्राप्त	36.60%	70.76%
सीधे जिले और पड़ोसी जिलों के भीतर से प्राप्त	-	-

नेतृत्व संकेतक

1. **सामाजिक प्रभाव आकलन में पहचाने गए किसी भी नकारात्मक सामाजिक प्रभाव को कम करने के लिए की गई कार्रवाइयों का विवरण प्रदान करें (संदर्भ: उपरोक्त आवश्यक संकेतकों का प्रश्न 1):**

   लागू नहीं।

2. **सरकारी निकायों द्वारा चिन्हित आकांक्षी जिलों में आपकी एंटिटी द्वारा शुरू की गई सीएसआर परियोजनाओं के बारे में निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें**

क्र. सं.	राज्य	आकांक्षी जिला	खर्च की गई राशि (भारतीय रु. में)
1.	बिहार	मुजफ्फरपुर	3,75,01,141
2.	मणिपुर	चंदेल	60,36,096
3.	मिजोरम	ममित	4,08,39,762
4.	नागालैंड	किफिरे	1,50,00,000
5.	ओडिशा	गजपति	1,95,65,164
6.	सिक्किम	पश्चिमी सिक्किम	31,05,086
7.	हिमाचल प्रदेश	चंबा	79,14,810
8.	राजस्थान	बारां	1,56,50,622
9.	झारखंड	चतरा	50,19,919
	जोड़		**15,06,32,600**

3. (क) **क्या आपके पास अधिमान्य खरीद नीति है जहाँ आप सीमांत/कमजोर समूहों वाले आपूर्तिकर्ताओं से खरीद को प्राथमिकता देते हैं? (हाँ/नहीं)**

   हाँ, एमएसएमई से सार्वजनिक खरीद का समर्थन करने के लिए आरईसी के पास नीति है जो https://recindia.nic.in/uploads/files/RECPolicy-for-MSME-11022022.pdf पर उपलब्ध है।

   (ख) **आप किन सीमांत/कमजोर समूहों से खरीदारी करते हैं?**

   आरईसी ने एमएसएमई विक्रेताओं से ₹10 लाख तक की सामान्य उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की 100% खरीद और एमएसई को 50% तक मूल्य वरीयता की अनुमति देना अनिवार्य कर दिया है, जिसमें से 20% अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के लिए आरक्षित है। कंपनी अपनी खरीद प्रक्रियाओं में पंजीकृत एमएसएमई को विभिन्न सुविधाएं प्रदान करती है, जैसे कि निः शुल्क निविदा सेट की आपूर्ति, बयाना राशि के भुगतान से छूट आदि।

   (ग) **कुल खरीद (मूल्य के आधार पर) का यह कितना प्रतिशत है?**

   सरकार का आदेश एमएसएमई से न्यूनतम 25% के लिए है, जिसमें से 4% एससी/एसटी विक्रेताओं से और 3% महिला विक्रेताओं से होना है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए, आरईसी ने जीईएम से खरीद के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित अपना एमओयू लक्ष्य (25% के लक्ष्य के मुकाबले 51.14% हासिल किया) और एमएसएमई के लिए (25% के लक्ष्य के मुकाबले 36.6% हासिल किया) हासिल कर लिया है। उल्लेखनीय है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों से खरीद का विभाजन, विक्रेताओं द्वारा दर्ज किए गए दावों पर निर्भर करता है, जिस पर आरईसी का कोई नियंत्रण नहीं है।

4. **परम्परागत ज्ञान के आधार पर आपकी एंटिटी (चालू वित्तीय वर्ष में) के स्वामित्व या अधिग्रहित बौद्धिक संपदा से प्राप्त और साझा किए गए लाभों का विवरण:**

   लागू नहीं।

5. **बौद्धिक संपदा से संबंधित विवादों में किसी भी प्रतिकूल आदेश के आधार पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण जिसमें परम्परागत ज्ञान का उपयोग शामिल है।**

   बौद्धिक संपदा संबंधी विवादों के संबंध में कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया गया है

6. **सीएसआर परियोजनाओं के लाभार्थियों का विवरण:**

क्र. सं.	सीएसआर परियोजना	सीएसआर परियोजनाओं से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	कमजोर और सीमांत समूहों के लाभार्थियों का %
1.	ओडिशा में विकृति सुधार के लिए उत्कृष्टता केंद्र के रूप में संस्थान की स्थापना के लिए एसवीएनआईआरटीएआर में भवन का निर्माण	2,000	60%
2.	भारत के विभिन्न राज्यों में लगभग 8000–9000 दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सहायता और सहायक उपकरणों का वितरण	9,000	100%
3.	कुष्ठ मिशन अस्पताल, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में ऑपरेशन थियेटर और प्रसूति ब्लॉक का निर्माण और सुसज्जित करके कुष्ठ प्रभावित और अन्य गरीब लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना	1,500	90%
4.	रीवा, मध्य प्रदेश में श्याम शाह मेडिकल कॉलेज से संबद्ध गांधी मैमोरियल अस्पताल (एक सरकारी अस्पताल) का निर्माण और नवीनीकरण	60,000	60%
5.	ओडिशा के 30 जिलों में सिकल सेल रोगों और थैलेसीमिया के नियंत्रण के लिए समुदाय आधारित कार्यक्रम के लिए आंशिक–वित्तीय पोषण	1,00,000	80%
6.	आंध्र प्रदेश में ब्लड बैंक सह प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण और ब्लड बैंक उपकरणों का उन्नयन	5000	90%
7.	मध्य प्रदेश में कैंसर रोगियों की सहायता के लिए ब्रह्मर्षि मिशन समिति के तहत संचालित विराट धर्मशाला में रेडियोथेरेपी यूनिट का निर्माण	100	100%
8.	हिमाचल प्रदेश में एकीकृत मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और पुनर्वास केंद्र 'मानव मंदिर' (तीसरी मंजिल) का निर्माण	700	80%
9.	सिक्किम में जिला अस्पताल और 7 जन स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा उपकरण और उपस्कर उपलब्ध कराना	2,000	90%
10.	किफिरे, नागालैंड में चिकित्सा विभाग के लिए स्टाफ क्वार्टर का निर्माण / विस्तार और शिक्षकों के लिए मॉड्यूलर प्रीफैब्रिकेटेड हाउसिंग (क्वार्टर)	200	40%
11.	ममित, मिजोरम में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और नवीनीकरण एवं निर्माण	5,000	80%
12.	बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, पोर्टेबल और स्मार्ट मॉडल आंगनवाड़ी के क्षेत्रों में सौर ऊर्जा संचालित सॉल्यूशन्स	500	90%
13.	एडवांस्ड सेंटर फॉर ट्रीटमेंट, रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर (एसीटीआरईसी), टाटा मैमोरियलसेंटर, खारगहर, नवी मुंबई में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण	लागू नहीं	लागू नहीं
14.	महामारी कोरोना वायरस कोविड–19 के प्रकोप को देखते हुए लॉकडाउन के कारण निर्माण/सब स्टेशनों में लगे प्रवासी मजदूरों/परिवार के सदस्यों, गरीब लोगों, दिहाड़ी मजदूरों आदि को भोजन उपलब्ध कराना	1,00,000	90%
15.	सदर अस्पताल में मरीजों के परिचारक के लिए 100 बिस्तरों वाले प्रतीक्षालय का निर्माण, बहुउद्देशीय हॉल और ऊष्मायन केंद्र और बिहार में जिला अस्पताल और पीएचसी में 25 इनक्यूबेटरों की खरीद और संस्थापना	1,000	90%
16.	चुराचांदपुर, मणिपुर में 12 गांवों के लिए आरईसी–जोडॉन मोबाइल स्वास्थ्य क्लिनिक वैन और आपातकालीन एम्बुलेंस प्रदान करना	3,000	90%
17.	बिहार के श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में मरीज के परिचारकों के लिए 200 बिस्तरों वाले विश्राम कक्ष (विश्राम सदन) का निर्माण	1,000	90%
18.	बिहार में 1125 आंगनवाड़ी केंद्रों में 50 आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) का नवीनीकरण और खाद्यान्न भंडारण, एलपीजी गैस कनेक्शन और प्रसवपूर्व देखभाल कार्नर्स की संस्थापना के लिए कंटेनर उपलब्ध कराना	5,000	90%
19.	जिला अस्पताल, मछलीपट्टनम, कृष्णा जिला, आंध्र प्रदेश में रक्त घटकों को अलग करने के लिए ब्लड बैंक उपकरण की खरीद	1,000	90%
20.	कर्नाटक, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में देश भर में दिव्यांगजन को 3400 सहायता और उपकरणों का वितरण	3,400	100%
21.	दादरा और नगर हवेली, नागालैंड और पश्चिम बंगाल में कोविड–19 टीकाकरण कार्यक्रम के लिए कोल्ड चेन उपकरण (सीसीई) की खरीद	10,000	60%

क्र. सं.	सीएसआर परियोजना	सीएसआर परियोजनाओं से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	कमजोर और सीमांत समूहों के लाभार्थियों का %
22.	तेलंगाना में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी (आईआरसीएस) में ब्लड बैंक उपकरण / वस्तुओं की खरीद, संस्थापना और चालू करना	2,000	90%
23.	बिहार के 14 जिलों में कैंसर जांच और बुनियादी कैंसर देखभाल सेवाओं को सुदृढ़ बनाना	1,50,000	90%
24.	राजस्थान में डिजिटल सबट्रेक्शन एंजियोग्राफी मशीन की खरीद, संस्थापना और चालू करना	500	80%
25.	पंजाब में आरईसी सीएसआर सहायता के तहत बनाए गए सरकारी स्कूलों में 132 शौचालयों की मरम्मत और रखरखाव के लिए सहायता	3,500	100%
26.	140 बिस्तरों वाले घर का निर्माण (आनंदम का ब्लॉक–बी और पार्ट ब्लॉक–सी) – राजस्थान में बेघर बीमार, बेसहारा, अज्ञात और बुजुर्ग लोगों के लिए एक घर	140	100%
27.	महाराष्ट्र में 1700 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र (पूर्ण संयोजन) और 150 केवी जनरेटर संयंत्र की संस्थापना	100	90%
28.	पिथौरागढ़, उत्तराखंड के बेस अस्पताल में कोविड देखभाल/स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं को मजबूत करने के लिए 1000 एलपीएम ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र की स्थापना, 22 ऑक्सीजन सांद्रता और 200 सेमी फाउलर्स बेड की खरीद	100	90%
29.	सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में तैनात 300 डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों को प्रतिदिन पैक लंच की सुविधा प्रदान करना	300	30%
30.	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी), हंटरगंज, चतरा में पीएसए (प्रेशर स्विंग सोखना) ऑक्सीजन संयंत्र, ऑक्सीजन पाइपलाइन, बेड / आईसीयू उपकरण की संस्थापना, रेफरल मामलों के लिए टाइप–डी एम्बुलेंस और मोबाइल रक्तदान वैन	100	90%
31.	जिला अस्पताल, बारां में 1000 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र और 100 केवीए डीजी सेट की संस्थापना	100	90%
32.	सिविल अस्पताल (सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र), डलहौजी में 400 एलपीएम ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र और 62.5 केवीए के डीजी सेट की संस्थापना	100	90%
33.	झांसी, यूपी में 2 विद्युत सह गैस संचालित (हाइब्रिड) श्मशान की स्थापना	लागू नहीं	लागू नहीं
34.	जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए चिकित्सा उपकरणों की खरीद कर जिला अस्पताल, मोन का उन्नयन	500	90%
35.	सरकारी चरक अस्पताल, उज्जैन, मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन वेंटिलेटर, एएलएस एम्बुलेंस और आईसीयू रोगियों के बिस्तरों की व्यवस्था, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, उज्जैन द्वारा कार्यान्वित की जाएगी।	2,000	90%
36.	राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी द्वारा क्रियान्वित किए जाने वाले अलवर, राजस्थान के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराना	2,000	90%
37.	जिला अस्पताल, चाईबासा, झारखंड में बाल चिकित्सा और नवजात वर्ग के लिए 10 बिस्तरों वाले आईसीयू की व्यवस्था, 20 बिस्तरों वाली सेवा के लिए चिकित्सा उपकरण	500	90%
38.	नए जिला अस्पताल, यादगीर, कर्नाटक में 32 स्लाइस सीटी स्कैन मशीन की संस्थापना और चालू करना	200	90%
39.	उत्तर प्रदेश में समुदायों को सशक्त बनाने के माध्यम से सर्वाइकल कैंसर की जांच में सुधार	4,000	90%
40.	5 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में आरईसी द्वारा स्वच्छ विद्यालय अभियान (एसवीए) के तहत 2014–15 के दौरान निर्मित 12347 शौचालयों का सर्वेक्षण और मरम्मत	3,00,000	100%
41.	श्रावस्ती जिले में 275 हैंडपंप की संस्थापना	500	100%
42.	कुंभ मेला स्थल पर और भारत में विभिन्न प्रतिष्ठित स्थानों पर 20 वाटर एटीएम मशीनों की संस्थापना के लिए सहायता	10,000	80%
43.	बिहार के पूर्णिया जिले के 200 आंगनबाडी केंद्र/प्राथमिक विद्यालय में 500 लीटर ओवरहेड स्टोरेज टैंक और 1 एचपी विद्युत पंप के साथ 200 रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट संयंत्र की संस्थापना	5,000	100%

क्र. सं.	सीएसआर परियोजना	सीएसआर परियोजनाओं से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	कमजोर और सीमांत समूहों के लाभार्थियों का %
44.	स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी) के तहत झुग्गी–झोपड़ी के लिए पीने का पानी, स्वच्छता, शौचालय, आईईसी अभियान आदि की सफाई सुनिश्चित करने के लिए एक झुग्गी को अपनाना	500	80%
45.	आंध्र प्रदेश के 24 सरकारी स्कूलों में परिसर की दीवारों का निर्माण और गेट प्रदान करना	700	100%
46.	चंदेल, मणिपुर में प्रोजेक्टर, पानी की सुविधा, फर्नीचर, सफेद बोर्ड और मार्कर, स्कूलों और छात्रावासों में बुनियादी ढांचे के लिए सहयोग, विज्ञान प्रयोगशालाओं में सुधार आदि प्रदान करके स्कूली शिक्षा का कायाकल्प करना।	1,000	90%
47.	केरल में सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सभागार के निर्माण से बुनियादी ढांचे का विकास	50	100%
48.	सरकारी स्कूलों में वाटर प्यूरीफायर प्रदान करना और ओडिशा में एचएससी (हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट) के छात्रों के लिए सुपर 30 शुरू करना	300	100%
49.	ममित मिजोरम में उपकरण, शिक्षकों का प्रशिक्षण, महिला साक्षरता में वृद्धि, सरकारी स्कूलों में पेयजल उपलब्ध कराकर स्कूली शिक्षा में बदलाव करना	5,000	100%
50.	संदलपुर गांव में 75 आदिवासी बच्चों के लिए लड़कों के छात्रावास (द्वितीय मंजिल) का निर्माण और बरकालिकापुर गांव में परिवार बंगाल आवासीय संस्थान में 150 आवासीय लड़कियों को पढ़ाई, भोजन और अन्य बुनियादी जरूरतों के लिए सहायता प्रदान करना	225	100%
51.	हिमाचल प्रदेश में विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए अनुसंधान और पुनर्वास केंद्र (तीसरी मंजिल) के गेट और खेल के मैदान के साथ अनुसंधान और पुनर्वास केंद्र में चारदीवारी की स्थापना	100	80%
52.	हिमाचल प्रदेश में 15 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों, 1 सरकारी उच्च विद्यालय और 1 सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करके, कक्षाओं की मरम्मत, नवीनीकरण करके स्कूली शिक्षा को बदलना; रसोई, चारदीवारी, बिजली के तारों / इंटरनेट प्रदान करना, वाटर कूलर, अलमीरा, कटलरी की खरीद, क्लास रूम को स्मार्ट क्लास रूम में बदलना, खेल उपकरण, स्कूल पुस्तकालय, विज्ञान / गणित प्रयोगशाला आदि प्रदान करना।	3,000	100%
53.	हरियाणा में प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिए 10,000 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान करना	10,000	100%
54.	हरियाणा के गुरुग्राम में विभिन्न मलिन बस्तियों में रहने वाले प्रवासी मजदूरों के 462 वंचित बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए एक अभिनव मोबाइल स्कूल	462	100%
55.	गजपति, उड़ीसा में 32 सरकारी स्कूलों में 53 अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण	1,000	100%
56.	मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में 150 आदिवासी लड़कियों के लिए आवासीय भवन (जी+2) के निर्माण के लिए सहायता और लगभग 1541 बच्चों वाले 11 सेवा कुटीर को पढ़ाई, भोजन और अन्य बुनियादी आवश्यकताओं के लिए सहायता प्रदान करना	1,541	100%
57.	हरियाणा में मूल्य शिक्षा प्रदान करने के लिए भवन निर्माण हेतु सहायता	1,000	60%
58.	कानपुर के आईआईटी पर स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी (एसएमआरटी) के तहत पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों के लिए फर्नीचर, फिक्स्चर, लैंडस्केपिंग, बाहरी लाइटिंग और एप्रोच रोड के साथ 2 हॉस्टल टॉवर (जी+9) का निर्माण और ग्रिड कनेक्टेड 100 केडब्ल्यूपी रूफ टॉप स्लोअर पीवी पैनल की संस्थापना	72	80%
59.	केलवाड़ा (कुंभलगढ़) ग्राम, राजसमंद जिला, राजस्थान में अनुसूचित जनजाति/समाज के अतिसंवेदनशील/कमजोर वर्ग के लिए छात्रावास भवन का निर्माण	100	100%
60.	भारत भर में विशेष रूप से सक्षम और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थियों के लिए रोजगारोन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण (आवासीय) कार्यक्रम	350	100%

क्र. सं.	सीएसआर परियोजना	सीएसआर परियोजनाओं से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	कमजोर और सीमांत समूहों के लाभार्थियों का %
61.	महाराष्ट्र में समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 2000 लाभार्थियों को रोजगारोन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण।	2,000	100%
62.	मध्य प्रदेश में ईडब्ल्यूएस/अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / महिला आदि से संबंधित 1200 लाभार्थियों को रोजगारोन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण (आवासीय) कार्यक्रम	1,200	100%
63.	भारत भर में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला/अल्पसंख्यक/ईडब्ल्यूएस/वंचितों से संबंधित 1100 बेरोजगार युवाओं को रोजगारोन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण	1,100	100%
64.	यूपी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 1000 लाभार्थियों को रोजगारोन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना	1,000	100%
65.	महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की 500 महिलाओं को स्वरोजगार के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना और उपकरण किट का वितरण	500	100%
66.	भारत में विभिन्न स्थानों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला/अल्पसंख्यक/ईडब्ल्यूएस से संबंधित 2500 लोगों को रोजगारोन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना	2,500	100%
67.	मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला/ईडब्ल्यूएस आदि से संबंधित 360 लाभार्थियों को रोजगारोन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना	360	100%
68.	महाराष्ट्र में सूखाग्रस्त क्षेत्र में रहने वाले किसानों को बीज (रबी सीजन) का मुफ्त वितरण।	9,225	100%
69.	आईआईएम, तिरुचिरापल्ली के परिसर में विभिन्न स्थानों पर 2 मेगावाट एसपीवी प्रणाली की संस्थापना	लागू नहीं	लागू नहीं
70.	संबलपुर विश्वविद्यालय परिसर, ओडिशा में विभिन्न स्थानों पर 0.25 मेगावाट एसपीवी प्रणाली और एलईडी लाइटों की संस्थापना	लागू नहीं	लागू नहीं
71.	हरियाणा के पैंतालीस गांवों में राष्ट्रपति भवन की स्मार्टग्राम पहल के लिए स्थायी ऊर्जा प्रणाली प्रदान करना	लागू नहीं	लागू नहीं
72.	आंध्र प्रदेश के जैव संसाधनों का संरक्षण और सतत प्रबंधन	लागू नहीं	लागू नहीं
73.	मदुरै कामराज विश्वविद्यालय, तमिलनाडु के परिसर में विभिन्न स्थानों पर 1 मेगावाट एसपीवी प्रणाली की संस्थापना	लागू नहीं	लागू नहीं
74.	आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश के परिसर में विभिन्न स्थानों पर 2 मेगावाट की एसपीवी प्रणाली की संस्थापना	लागू नहीं	लागू नहीं
75.	लद्दाख, जम्मू और कश्मीर में बुजुर्गों की देखभाल के लिए स्वास्थ्य सुविधा (60 सीटों वाले) के साथ आश्रय गृह का निर्माण और संचालन	60	100%
76.	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ग्रामीण आजीविका में सुधार के लिए किसान केंद्रित एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन	10,000	100%
77.	मेघालय और नागालैंड में समुदायों के आसपास प्राकृतिक रूप से उपलब्ध पोषण, भोजन और ऊर्जा के अंतिम उपयोग के लिए सामुदायिक विकास जागरूकता कार्यक्रम	3,000	90%
78.	मणिपुर के उखरूल जिले के सोमदल गांव में बहुउद्देशीय हॉल सह इंडोर स्टेडियम का निर्माण	500	90%
79.	बिहार में ग्रामीण विकास कार्य जैसे सामुदायिक हॉल, पीसीसी रोड, नाली, यात्री शेड का निर्माण, एलईडी लाइट्स, आरओ प्लांट आदि की संस्थापना	10,000	80%
80.	भारत में खेलों का व्यापक आधार और खेलों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना	250	80%
81.	उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में सरकारी स्कूलों और सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों के पुनर्निर्माण और बहाली का कार्य।	4,000	100%
82.	पीएम केयर्स फंड में योगदान	लागू नहीं	लागू नहीं

*एनए – लागू नहीं

सिद्धांत 9 : कारोबारियों को एक जिम्मेदारी पूर्ण रूप से अपने उपभोक्ताओं के साथ जुड़ना चाहिए और उन्हें एहमियत देनी चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. **उपभोक्ता की शिकायतों और फीडबैक को प्राप्त करने और उनका जवाब देने के लिए तंत्र का वर्णन करें।**

एक एनबीएफसी होने के नाते, कंपनी ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित वैधानिक आवश्यकताओं के अनुरूप एक उचित व्यवहार संहिता को अपनाया है। संहिता में उपभोक्ताओं के लिए अपनी शिकायत यदि कोई हो तो प्रस्तुत करने के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र को विस्तार से शामिल किया गया है। निदेशक मंडल समय–समय पर उचित व्यवहार संहिता के अनुपालन की स्थिति की समीक्षा करता है और इसके तहत प्राप्त शिकायतों की भी समीक्षा करता है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए उचित व्यवहार संहिता के तहत कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

आरईसी की उचित व्यवहार संहिता https://recindia.nic.in/uploads/files/Fair-Practices-Code.pdf पर उपलब्ध है।

2. **उन सभी उत्पादों/सेवाओं से टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में उत्पादों और/सेवाओं का टर्नओवर, जिनके बारे में जानकारी है:**

	कुल टर्नओवर प्रतिशत के रूप में
उत्पाद के लिए प्रासंगिक पर्यावरणीय और सामाजिक मानदंड	लागू नहीं
सुरक्षित और जिम्मेदार परिपाटी	100%
पुनर्चक्रण और/या सुरक्षित निपटान	लागू नहीं

कंपनी के उत्पाद मुख्य रूप से बिजली क्षेत्र के लिए ऋण हैं और इसलिए, प्रत्येक मामले में ऋण दस्तावेज में आवश्यक नियम और शर्तें और अन्य कानूनी रूप से बाध्यकारी खंड आदि शामिल हैं।

3. **निम्नलिखित के संबंध में उपभोक्ता शिकायतों की संख्या:**

	वित्तीय वर्ष 2021-22		टिप्पणियां	वित्तीय वर्ष 2020-21		टिप्पणियां
	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत में लंबित समाधान		वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	
डाटा प्राइवेसी	-	-	-	-	-	-
विज्ञापन देना	-	-	-	-	-	-
साइबर–सुरक्षा	-	-	-	-	-	-
आवश्यक सेवाओं का वितरण	-	-	-	-	-	-
प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार	-	-	-	-	-	-
अनुचित व्यापार व्यवहार	-	-	-	-	-	-
अन्य: उपभोक्ता मामले	4	3	-	5	4	-

4. **सुरक्षा मुद्दों के कारण उत्पाद रिकॉल के उदाहरणों का विवरण:**

लागू नहीं।

5. **क्या एंटिटी के पास साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता से संबंधित जोखिमों पर कोई ढांचा/नीति है? (हाँ/नहीं) यदि उपलब्ध हो, तो नीति का वेब-लिंक प्रदान करें।**

कंपनी की एक व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति है जो अनिवार्य रूप से साइबर सुरक्षा और संबंधित पहलुओं को शामिल करती है। यह नीति कंपनी का आंतरिक दस्तावेज है जो इसके इंट्रानेट पर उपलब्ध है।

6. **विज्ञापन और आवश्यक सेवाओं के वितरण से संबंधित मुद्दों पर की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें; साइबर सुरक्षा और ग्राहकों की डेटा गोपनीयता; उत्पाद रिकॉल के उदाहरणों की पुनः घटना; उत्पादों/सेवाओं की सुरक्षा पर नियामक प्राधिकारियों द्वारा की गई अर्थदंड/कार्रवाई।**

लागू नहीं।

नेतृत्व संकेतक

1. **चैनल/प्लेटफॉर्म जहाँ एंटिटी के उत्पादों और सेवाओं की जानकारी प्राप्त की जा सकती है (यदि उपलब्ध हो तो वेब लिंक प्रदान करें)।**

आरईसी राज्य बिजली यूटिलिटिज, राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र के बिजली डेवलपर्स को वित्तीय पोषण करके, उत्पादन पारेषण और वितरण में बिजली के बुनियादी ढांचे की स्थापना परिचालन दक्षता को बढ़ाने और नवीन प्रौद्योगिकी समाधानों को लागू करने के लिए संपूर्ण बिजली क्षेत्र मूल्य श्रृंखला को वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। ग्राहकों के लिए उत्पाद पोर्टफोलियो ब्याज दरें और संबंधित जानकारी कंपनी की वेबसाइट https://recindia.nic.in/financial-products. पर उपलब्ध है।

2. **उत्पादों और/या सेवाओं के सुरक्षित और जिम्मेदारी पूर्ण उपयोग के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित करने और शिक्षित करने के लिए उठाए गए कदम।**

देश भर में क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ आरईसी की संपूर्ण भारत में उपस्थिति है। प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में, मुख्य कार्यक्रम प्रबंधक (सीपीएम) राज्य में सभी उधारकर्ताओं के लिए और कंपनी द्वारा पेश

किए जाने वाले उत्पादों और सेवाओं पर किसी भी समस्या के लिए एकमात्र संपर्क बिंदु है। क्षेत्रीय कार्यालयों/सीपीएम के संपर्क विवरण https://recindia.nic.in/contact पर उपलब्ध हैं। कंपनी ने अपनी वेबसाइट https://recindia.nic.in/financial-product पर उपभोक्ता जागरूकता साहित्य को भी प्रदर्शित किया है।

इसके अलावा, आरईसी के पास एक आंतरिक प्रशिक्षण संस्था अर्थात् आरईसी इंस्टीट्यूट ऑफ पावर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग (आरईसीआईपीएमटी), है जो देश भर में और उसके बाहर बिजली क्षेत्र के संगठनों के इंजीनियरों और प्रबंधकों के प्रशिक्षण और विकास की जरूरतों को पूरा करता है। आरईसीआईपीएमटी विद्युत सुरक्षा, डिस्कॉम के प्रदर्शन में तकनीकी वाणिज्यिक सुधार, बिजली उपयोगिताओं की स्थिरता आदि सहित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाती है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, आरईसीआईपीएमटी ने 20,728 प्रतिभागियों के लिए कुल 868 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें कुल 64,361 प्रशिक्षण मानव–दिवस प्राप्त हुए।

3. **उपभोक्ताओं को आवश्यक सेवाओं के बाधित/बंद होने के किसी भी जोखिम के बारे में सूचित करने के लिए क्या कोई तंत्र मौजूद है।**

आरईसी ने अपने डेटा सेंटर और डिजास्टर रिकवरी ऑपरेशंस के लिए बिजनेस निरंतरता और आपदा रिकवरी योजना लागू की है और जो आईएसओ 27001:2013 प्रमाणित भी है।

इसके अलावा, विद्युत मंत्रालय के मार्गदर्शन में, आरईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी, अर्थात् आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड ("आरईसीपीडीसीएल") ने ऊर्जा मित्र ऐप को लागू किया है, जो राज्य बिजली वितरण उपयोगिताओं के लिए एक केंद्रीय आउटेज प्रबंधन और अधिसूचना मंच प्रदान करता है। एसएमएस, ईमेल या पुश नोटिफिकेशन के माध्यम से पूरे भारत में शहरी और ग्रामीण बिजली उपभोक्ताओं को बिजली कटौती की जानकारी प्रसारित करता है।

4. **क्या एंटिटी स्थानीय कानूनों के अनुसार अनिवार्य उत्पाद के बारे में उत्पाद की जानकारी प्रदर्शित करती है? (हाँ/नहीं/लागू नहीं) यदि हाँ, तो संक्षिप्त विवरण दें। क्या आपकी एंटिटी ने एंटिटी के प्रमुख उत्पादों/सेवाओं, एंटिटी के संचालन के महत्वपूर्ण स्थानों या समग्र रूप से एंटिटी से संबंधित उपभोक्ता संतुष्टि के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है? (हाँ/नहीं)**

कंपनी वित्तीय उत्पादों की पेशकश करने वाली एक एनबीएफसी है, इसलिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि ऋण समझौतों और दस्तावेजीकरण; और कॉर्पोरेट वेबसाइट https://recindia.nic.in/financial-products. के माध्यम से अपने उधारकर्ताओं को पर्याप्त प्रकटीकरण किया जाता है।

एक एनबीएफसी होने के नाते, कंपनी आरबीआई द्वारा अनिवार्य *उचित व्यवहार संहिता* का भी पालन करती है, जो ऋण के लिए आवेदन और उनके प्रसंस्करण, ऋण स्वीकृति, संवितरण, संवितरण के बाद पर्यवेक्षण और शिकायत निवारण तंत्र आदि से संबंधित मामलों में उधारकर्ताओं के साथ पालन की जाने वाली उचित उधार कार्यप्रणाली को निर्धारित करता है। *उचित व्यवहार संहिता* https://recindia.nic.in/uploads/files/Fair-Practices-Code.pdf पर उपलब्ध है।

आरईसी ने देश भर में अपने सम्मानित ग्राहकों का ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण 2022 आयोजित किया है, जिसमें भारत के प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज, हैदराबाद के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार की बिजली संस्थाएं और बिजली क्षेत्र में निजी प्लेयर्स शामिल हैं। सर्वेक्षण का समग्र ग्राहक संतुष्टि सूचकांक (सीएसआई) स्कोर 80% था, जो आरईसी द्वारा अपने उधारकर्ताओं को प्रदान की जा रही ग्राहक अनुकूल सेवाओं में निष्ठा और विश्वास को दर्शाता है।

5. **डेटा उल्लंघनों से संबंधित निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:**

क. प्रभाव के साथ-साथ डेटा उल्लंघनों के उदाहरणों की संख्या

ख. ग्राहकों की व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी से जुड़े डेटा उल्लंघनों का प्रतिशत

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए ऐसे मामले शून्य थे।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

विवेक कुमार देवांगन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन: 01377212)

स्थान : गुरुग्राम
दिनांक : 20 अगस्त, 2022

कारोबार दायित्व और संधारणीयता रिपोर्ट का अनुबंध

पी1 कारोबार का व्यवहार एवं प्रचालन, नैतिकता, पारदर्शिता एवं दायित्व के साथ स्वयं किया जाना चाहिए।

आरईसी अपनी कारोबारिक गतिविधियों को नैतिकता, पारदर्शिता और दायित्व के लिए अत्यधिक महत्व के साथ संचालित करता है। इस संबंध में बनाई गई विभिन्न नीतियों, संहिताओं और नियमों में शामिल हैं:–

नीति का नाम	वेबलिंक
निगमित सुशासन पर आंतरिक दिशानिर्देश	https://recindia.nic.in/uploads/files/Final---Internal-Guidelines-on-Corporate-Governance.pdf .
धोखाधड़ी रोकथाम नीति	https://recindia.nic.in/uploads/files/Revised-Fraud-Prevention-Policy-310122.pdf.
व्हिसल ब्लोअर नीति	https://www.recindia.nic.in/uploads/files/Whistle_Blower_Policy.pdf.
कारोबार आचार और नैतिकता संहिता	https://www.recindia.nic.in/uploads/files/Code_Business_Conduct_Ethics.pdf.
उचित व्यवहार सहिंता	https://recindia.nic.in/uploads/files/Fair-Practices-Code.pdf
संबंधित पक्षकार लेनदेन की वास्तविकता और संबंधित पक्षकार लेनदेन से निपटने पर नीति।	https://recindia.nic.in/uploads/files/RPT-Policy-of-REC-dated-150722.pdf.
आचार संहिता का विनियमन, मॉनिटरिंग तथा निर्दिष्ट व्यक्तियों एवं उनके तत्काल निकटतम संबंधियों द्वारा ट्रेडिंग किए जाने तथा निष्पक्ष प्रकटन के लिए रिपोर्टिंग	https://www.recindia.nic.in/uploads/files/cs-revised-insider-trading-code-submitted-to-stock-exchanges-dt070619.pdf
निदेशकों के लिए 'उपयुक्त एवं उचित' मानदंड से संबंधित नीति	https://recindia.nic.in/uploads/files/Amended---Policy-on-Fit--Proper-Criteria.pdf

उपरोक्त के अलावा, अन्य नीतियां और नियम हैं, जो कंपनी के आंतरिक दस्तावेज हैं और कंपनी के इंट्रानेट पर कर्मचारियों के लिए उपलब्ध हैं।

पी2 कारोबार के लिए ऐसी वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता कारवाई जानी चाहिए, जो सुरक्षित हों तथा जिनसे उनके उपयोज्यता क्रम में संधारणीयता को योगदान प्राप्त हो

कंपनी एक गैर बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी) है जो वित्तीय उत्पादों की प्रस्तुति करती है, जिसमें पर्यावरणीय संधारणीयता के लिए नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ऋण शामिल हैं। कंपनी के उत्पादों और सेवाओं का विवरण https://www.recindia.nic.in/financial-products पर उपलब्ध हैं।

इसके अलावा, कंपनी की सीएसआर नीति https://recindia.nic.in/uploads/files/REC-CSR-Policy-07-12-2021.pdf पर उपलब्ध है।

पी3 कारोबार के सभी कर्मचारियों के हितों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए

कंपनी ने सामान्य कानूनों और विनियमों तथा सशक्त नैतिक प्रक्रियाओं के अनुरूप विभिन्न कर्मचारी–अभिमुखी नीतियां अपनाई हैं। ऐसी नीतियां सामान्यतः निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित की जाती हैं और इंट्रानेट पर कंपनी के कर्मचारियों के लिए आसान हैं।

पी4 कारोबार में प्रत्येक के हितों का सम्मान होना चाहिए तथा यह प्रत्येक हितधारक, विशेषत: वे जो सुविधाहीन, अतिसवेंदनशील एवं अधिकारों से वंचित हैं, के प्रति प्रतिक्रियात्मक होना चाहिए

कंपनी अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करती है, जिसमें वंचित, अतिसवेंदनशील और सीमांत तबका शामिल हैं। कंपनी निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित अपनी सीएसआर नीति के माध्यम से समावेशी विकास की दिशा में काम करती है। सीएसआर नीति https://recindia.nic.in/uploads/files/REC-CSR-Policy-07-12-2021.pdf पर उपलब्ध है।

पी5 कारोबार के अंतर्गत मानवाधिकारों को सम्मान और प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए

आरईसी हर तरह से मानव अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षण का प्रयास करता है। कंपनी के पास निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए एक कारोबारिक आचरण और आचार संहिता (कोड) है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ मानव जीवन और पर्यावरण की सुरक्षा और सरंक्षण को ध्यान में रखते हुए इससे बचाव के लिए भी किसी भी आधार पर भेदभाव की रोकथाम के लिए प्रबंधन सदस्यों पर नैतिक अनिवार्यता है। यह संहिता (कोड) https://www.recindia.nic.in/uploads/files/Code_Business_Conduct_Ethics.pdf पर उपलब्ध है।

पी6 कारोबार के अंतर्गत पर्यावरण के सम्मान, संरक्षण एवं पुन: बहाली के लिए प्रयास किए जाने चाहिए

विद्युत क्षेत्र में एक वित्तीय संस्थान के रूप में, आरईसी नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के विकास में अपना सहयोग बढ़ा रही है। आरईसी के नवीकरणीय ऊर्जा हेतु वित्तपोषण मानक https://www.recindia.nic.in/renewables पर उपलब्ध हैं।

पी7 कारोबार के अंतर्गत अपने सार्वजनिक और नियामक नीति को महत्व देने के साथ उनसे उत्तरदायी स्वरूप में व्यवहार किया जाना चाहिए

विद्युत क्षेत्र का एक प्रमुख वित्तीय संस्थान होने के नाते, आरईसी सार्वजनिक और नियामक नीति से संबंधित मामलों में एक सक्रिय और जिम्मेदार पूर्ण भूमिका निभाता है। व्यापक रूप से आरईसी की जनता के साथ होने वाली चर्चा को आरईसी के विभिन्न सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से देखा जा सकता है।

पी8 कारोबार के अंतर्गत समावेशी विकास एवं समान विकास में सहायता दी जानी चाहिए

आरईसी के पास अपने सभी हितधारकों के समावेशी विकास और समान विकास में सहायता के लिए विभिन्न नीतियां हैं जिसमें एमएसएमई के लिए सार्वजनिक खरीद की नीति (https://www.recindia.nic.in/uploads/files/Public_Procurement_Policy.pdf), अपने कर्मचारियों के लिए समान अवसर की नीति (आरईसी इंट्रानेट पर उपलब्ध), हरित ऊर्जा परियोजनाओं के लिए आकर्षण ऋण दरें (https://www.recindia.nic.in/renewables) और सीएसआर नीति भी (https://recindia.nic.in/uploads/files/REC-CSR-Policy-07-12-2021.pdf) उपलब्ध है।

पी9 कारोबार के अंतर्गत अपने ग्राहकों एवं उपभोक्ताओं को महत्व देने के साथ उनसे उत्तरदायी स्वरूप में व्यवहार किया जाना चाहिए

आरईसी के पास उपभोक्ता मूल्य बोर्ड से अनुमोदित एक "उचित व्यवहार सहिंता" है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कंपनी द्वारा अपने ऋण प्रचालनों में ग्राहकों के साथ संपर्क करते समय उचित और पारदर्शी प्रक्रियाएं अपनाई जाएं। यह संहिता https://www.recindia.nic.in/uploads/files/Fair-Practices-Code.pdf पर उपलब्ध है।

सभी नीतियों और प्रक्रियाओं की समय–समय पर निदेशक मंडल/वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा समीक्षा की जाती है।